संलग्नक क्र.5 (01)

# कार्यवाही विवरण

ग्राम–गुढ़ेली क्लस्टर लाईम स्टोन माईन, तहसील–सारंगढ़, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में स्थित कुल 03 चुना पत्थर खदानों (1) मेसर्स जगदम्बा स्पंज प्राईवेट लिमिटेड, प्रो.–श्री शिव कुमार अग्रवाल (गुढ़ेली लाईम स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट), खसरा क्रमांक 479, 469/2घ एवं अन्य 19 खसरे, रकबा–2.926 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–1,10,829.38 टन प्रतिवर्ष, ग्राम–गुढ़ेली, तहसील–सारंगढ़, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) (2) मेसर्स नितिन सिंघल, (गुढ़ेली लाईम स्टोन माईन), खसरा क्रमाक 481/4, 481/5क एवं अन्य 20 खसरे, रकबा–3.113 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–1,55,061.25 टन प्रतिवर्ष, ग्राम–गुढ़ेली, तहसील–सारंगढ़, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) (3) मेसर्स श्रीमती तुलसी बसंत, (गुढ़ेली लाईम स्टोन माईन), खसरा क्रमांक 463/2, 463/3, 463/5, 463/6, 470/1, 470/2 एवं 470/3, रकबा–2.836 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–1,70,038 टन प्रतिवर्ष, ग्राम–गुढ़ेली, तहसील–सारंगढ़, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई **दिनांक 30 अक्टूबर 2021 का कार्यवाही विवरण :–**

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार, ग्राम–गुढ़ेली क्लस्टर लाईम स्टोन माईन, तहसील–सारंगढ़, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में स्थित कुल 03 चुना पत्थर खदानों (1) मेसर्स जगदम्बा स्पंज प्राईवेट लिमिटेड, प्रो.–श्री शिव कुमार अग्रवाल (गुढ़ेली लाईम स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट), खसरा क्रमांक 479, 469/2घ एवं अन्य 19 खसरे, रकबा–2.926 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–1,10,829.38 टन प्रतिवर्ष, ग्राम–गुढ़ेली, तहसील–सारंगढ़, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) (2) मेसर्स नितिन सिंघल, (गुढ़ेली लाईम स्टोन माईन), खसरा क्रमांक 481/4, 481/5क एवं अन्य 20 खसरे, रकबा–3.113 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–1,55,061.25 टन प्रतिवर्ष, ग्राम–गुढ़ेली, तहसील–सारंगढ़, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) (3) मेसर्स श्रीमती तुलसी बसंत, (गुढ़ेली लाईम स्टोन माईन), खसरा क्रमांक 463/2, 463/3, 463/5, 463/6, 470/1, 470/2 एवं 470/3, रकबा–2.836 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–1,70,038 टन प्रतिवर्ष, ग्राम–गुढ़ेली, तहसील–सारंगढ़, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु **लोक सुनवाई दिनांक 30.10.2021, दिन–शनिवार, समय प्रातः 11:00 बजे, स्थल–सेवा सहकारी समिति का मैदान, गुढ़ेली, ग्राम–गुढ़ेली, तहसील–सारंगढ़, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)** में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़, की अध्यक्षता में लोकसुनवाई प्रातः 11:00 बजे प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रभावित परिवारों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीणजनों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक, जन प्रतिनिधि तथा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मिडिया के लोगो का स्वागत करते हुये जन सुनवाई के संबंध में आम जनता को संक्षिप्त में जानकारी देने हेतु क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी को निर्देशित किया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.

09.06 के प्रावधानो की जानकारी दी गयी, साथ ही कोविड 19 के संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 30.09.2020 के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने, हेण्डवाश अथवा सेनेटाईजर का उपयोग किये जाने, मास्क पहनने एवं थर्मल स्केनिंग किये जाने की जानकारी दी गई। पीठासीन अधिकारी द्वारा कंपनी के प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार को प्रोजेक्ट की जानकारी, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, रोकथाम के उपाय तथा आवश्यक मुद्दे से आम जनता को विस्तार से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सुनवाई में कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा परियोजना के प्रस्तुतिकरण से प्रांरभ हुई। सर्वप्रथम मैं शिव अग्रवाल, आज दिनांक 30.10.2021 को ग्राम–गुढ़ेली, तहसील–सारंगढ़, जिला–रायगढ़ में मेसर्स जगदंबा स्पंज प्राईवेट लिमिटेड–2.926 हेक्टेयर, श्री नितिन सिंघल–3.113 हेक्टेयर, श्रीमती तुलसी बसंत–2.836 हेक्टेयर कुल आवेदित रकबा 8.875 हेक्टेयर क्षेत्र पर उत्खनिपट्टा हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के तहत जनसुनवाई कार्यक्रम में मान्नीय एडिशनल कलेक्टर, रायगढ़, मान्नीय क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़ एवं समस्त ग्रामवासी का स्वागत करते हैं और कलेक्टर महोदय की अनुमति से हमारी ओर से हमारी चुना पत्थर खदानों के संबंध में जानकारी देने के लिये हम नैबेट प्रमाणित एसीरीज एनवायरोटेक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड नोयडा, उत्तरप्रदेश के अपने पर्यावरणीय सलाहकार मंडल के सदस्य को आमत्रित करतें हैं। मान्नीय एडिशनल कलेक्टर, जिला–रायगढ़, मान्नीय क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़ समस्त अन्य अतिथिगण, गणमान्य आगन्तुक एवं उपस्थित समस्त ग्रामवासी का स्वागत करता हूँ। परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जगदंबा स्पंज प्राईवेट लिमिटेड, रकाबा–2.926 हेक्टेयर, श्री निनित सिंघल, रकबा–3.113 हेक्टेयर, श्रीमती तुलसी बसंत, रकबा–2.836 हेक्टेयर की गुड़ेली लाईम स्टोन कलस्टर के अंतर्गत आवेदित 03 खदानों के पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत आज दिनांक 30.10.2021 को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ग्राम–गुड़ेली, तहसील–सारंगढ़, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) 03 खदान की कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता–4,55,928.76 टन प्रतिवर्ष होगी, 03 खदान की कुल परियोजना लागत–287.74 लाख होगी, अध्ययन काल 03 मार्च से 15 जून 2021 है। जनसुनवाई का आयोजन सेवा सहकारी समिति, ग्राम–गुड़ेली में दिनांक 30.10.2021 छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़ और जिला प्रशासन, जिला–रायगढ़ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। जनसुनवाई की प्रक्रिया का विवरण 14 सितम्बर 2006 के ई.आई.ए. नोटिफिकेशन और इसके अधिन किये गये संशोधनों के अनुसार 100 हेक्टेयर से कम कलस्टर लीज क्षेत्र बी–01 श्रेणी में आता है, जिसके अंतर्गत आज आयोजित जनसुनवाई का कार्यक्रम पर्यावरण स्वीकृति की प्रक्रिया की आवश्यक भाग है। जनसुनवाई की जानकारी को 03 समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है। जनसुनवाई संपन्न होने की नियत तिथि एवं स्थान की सूचना को सार्वजनिक किया गया। आदेशानुसार कोटवार ग्रामपंचायत–गुड़ेली द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थानों पर मुनादी करते हुये जनसुनवाई का दिन समय और स्थान को मुनादी करते हुये जनसामान्य को सूचना दी गयी। परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जगदंबा स्पंज प्राईवेट लिमिटेड को चुना पत्थर खान परियोजना,

ग्राम–गुढ़ेली, तहसील–सारंगढ़, जिला–रायगढ़, खनन पट्टा क्षेत्रफल–2.926 हेक्टेयर में उत्पादन क्षमता–1,10,829. 38 टन प्रतिवर्ष के लिये प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक श्री नितिन सिंघल को चुना पत्थर खान परियोजना, ग्राम–गुड़ेली, तहसील–सारंगढ़, जिला–रायगढ़, खनन पट्टा क्षेत्रफल–3.113 हेक्टेयर में उत्पादन क्षमता–1,75,061. 25 टन प्रतिवर्ष के लिये प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक श्रीमती तुलसी बसंत को चुना पत्थर खान परियोजना ग्राम–गुड़ेली, तहसील–सारंगढ़, जिला–रायगढ़ के खनन पट्टा क्षेत्रफल–2.836 हेक्टेयर में उत्पादन क्षमता–1,70,038.13 टन प्रतिवर्ष्ज के लिये प्रस्तावित है। अध्ययन क्षेत्र की पर्यावरणीय समायोजना विवरण निकटतम कस्बा/शहर गुड़ेली से 1.0 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर, रायगढ़ से लगभग 31.0 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। निकटतम राजमार्ग से 1.3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। निकटतम रेल्वे लाईन चांपा–रायगढ़ रेलवे लाईन 30.45 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में है। निकटतम हवाई अड्डा बिलासपुर एयरपोर्ट 117.50 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है। प्रस्तावित खनन क्षेत्र के 10 किलोमीटर त्रिज्या क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जीव मण्डल आरक्षित क्षेत्र, वन्यजीव कोरीडोर स्थित नहीं है। दमका संरक्षित वन खदान क्षेत्र से पूर्व दिशा में 0.50 किलोमीटर दूर है। जल निकाय 10 किलोमीटर के अध्ययन क्षेत्र में महानदी उत्तर की ओर 2.90 किलोमीटर, लाथ नाला पूर्व की ओर 610 मीटर की दूरी पर, तालाब पश्चिम की ओर 1.15 किलोमीटर, नहर उत्तर–पश्चिम की ओर 9.20 किलोमीटर पर है। खनन क्षेत्र प्रदूषित क्षेत्र में नहीं आता है। निकटतम डिस्पेंसरी गुड़ेली 1.25 किलोमीटर और सरकारी अस्पताल रायगढ़ में 31.0 किलोमीटर की दूरी पर खदान की सीमा से उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। शैझिक सुविधा लगभग 31.0 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में है। परियोजना के लिये जल की आवश्यकता 18.192 किलोलीटर प्रतिदिन की आवश्यकता होगी जिसे निकट ग्राम से लाया जायेगा। परियोजना में 151 व्यक्ति योग्यता एवं अनुभव के आधार पर स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार प्रदान किया जायेगा। परियोजना की कुल लागत 287.74 लाख है। खनन के लिये खुदाई/लोडर, डम्पर/टिपर, ट्रैक्टर, स्प्रिंकलर के साथ पानी का टैंकर, डिवाटरिंग पंप, रॉक ब्रेकर, कंप्रेसर, जैक हैमर की आवश्यकता होगी। खनन की प्रक्रिया अर्ध–यंत्रीकरण ओपनकास्ट मशीनीकृत विधि, कम विस्फोट क्षमता के साथ किया जायेगा। प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता–4,55,929.76 टन प्रतिवर्ष होगी। कुल खनन योग्य खनिज भण्डार 26,29,861.25 टन प्रतिवर्ष है। कुल कार्य दिवसों की संख्या 300 होगी। प्रतिदिन 01 शिप्ट जो 08 घंटे की होगी। जल स्तर 40 मीटर है, खनन की बंतिम गहराई 30 मीटर है। अध्ययन काल 03 मार्च से 15 जून 2021 के दौरान पी.एम.10 69.00 से 59.00 माईक्रोग्राम प्रति घमीटर, पी.एम.2.5 40.0 से 35.0 माईक्रोग्राम प्रति घमीटर, एस.ओ.टू. 28.0 से 16.0 माईक्रोग्राम प्रति घमीटर, एन.ओ.एक्स. 18.0 से 11.0 माईक्रोग्राम प्रति घमीटर सभी परिणाम निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पाये गये है। ध्वनि स्तर विश्लेषण दिन के समय 56.04 से 41.08 डेसीबल तथा रात के समय 48.30 से 36.8 डेसीबल जो निर्धारित मानक के अनुरूप पाये गये है। भूमिगत जल नमूने में पी.एच. 7.32 से 7.65, कुल घुलित ठोस 563 से 591 मिलीग्राम प्रतिलीटर, कठोरता 258 से 281 मिलीग्राम प्रतिलीटर, क्लोराइड 82 से 99 मिलीग्राम प्रतिलीटर

पाया गया है जो निर्धारित मापदण्डों के अंतर्गत पाये गये है। सतही ली का नमूना कुल घुलित ठोस 265 से 271 मिलीग्राम प्रतिलीटर, विघटित ऑक्सीजन 5.8 से 6.4 मिलीग्राम प्रतिलीटर, पी.एच. 7.54 से 7.66 जो सभी मापदण्ड निर्धारित मापदण्डों के अंतर्गत पाये गये है। मृदा नमूने 10 स्थानों से लिये गये जिसमें पी.एच. 7.26 से 8.16, बल्क डेनसिटी 1.35 से 1.52, कार्बनिक पदार्थ 28.36 से 36.56 पाया गया है जो निर्धारित मानक के अनुरूप है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण लीज क्षेत्र के भीतर पत्थर का परिवहन से जिससे धूल उत्पन्न होने के कारण एस.पी.एम. स्तर में वृद्धि और वाहनों के उत्सर्जन के कारण परिवेशी वायु में एन.ओ.एक्स सांद्रता स्तर जिसके नियंत्रण के लिये मुख्य रोड एवं अस्थाई रोड में टैंकर में वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम लगाकर से पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जायेगी, आवागमन वाले रास्तो में नियत अंतराल में वृक्षारोपण, बाड़ के साथ लगाया जावेगा, महीन धुल कणों से बचाव हेतिु परिवहन के पूर्व डंपरों में पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जायेगी, खनिज परिवहन के समय ट्रक, डम्फर ट्रैक्टर ट्राली को तारपोलिन या अन्य उपयुक्त उपाय से ढक कर परिवहन किया जायेगा, वाहन का समुचित रखरखाव किया जायेगा, वाहनों की आवाजाही और लोडिंग आदि के कारण धूल के उत्पादन पर प्रभाव के आंकलन के लिये प्रति छः माह निगरानी की जायेगी और प्रदूषण को कम करने के उपाय किये जायेंगे एवं सुनिश्चित किया जायेगा। वायु प्रदूषकों के व्यावसायिक जोखिम का नियमित अंतराल पर मूल्यांकन किया जायेगा जहां एक्सपोजर अनुमेय सीमा से अधिक है, उपयुक्त इंजीनियर नियंत्रण, प्रबंधन उपाय या अंतिम उपाय के रूप में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के प्रावधान को लागू किया जायेगा। क्रशर का परिचालन के अंतर्गत क्रशर एवं धूल उत्सर्जन बिंदु को ढक कर नियमित रखरखाव, क्रशर संयंत्र एवं मशीनरी के चारों ओर हवा नियंत्रण हेतु टिन की चादर की दिवार का निर्माण कराया जाएगा। क्रशर संयंत्र में धूल उड़ने वाले बिन्दुओं पर जल छिड़काव कर धूल उत्सर्जन को नियंत्रित किया जायेगा, परिसर की नियमित सफाई एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जायेगी। ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग पत्थर का निष्कर्षण, सटोन का लोडिंग/अनलोडिंग, लीज क्षेत्र के भीतर डंप साईट पर ओवरबर्डन का निपटान ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग ऑपरेशन के दौरान धूल और गैसों का उत्पादन होता है जिसके नियंत्रण के लिये साईंटिफिक कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग की जायेगी, ड्रिलिंग उपकरण पर डस्ट एप्रन का उपयोग और गीली ड्रिलिंग विधियों को अपनाना, ब्लारिटंग प्रभारों का इष्टतम परिरोधन, हरित पट्टी का विकास किया जायेगा। मशीन संचालन और लीज क्षेत्र के भीतर पत्थर के परिवहन से शोर के स्तर में वृद्धि, शोर के जोखिम के कारण व्यवसायिक खतरे और परिवेशीय शोर के स्तर में वृद्धि के लिये आवधिक ध्वनि परीक्षण सुनिश्चित किया जायेगा, मशीनों का उचित रख–रखाव, आइलिंग एवं ग्रीसिंग की जायेगी, सभी कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे, धवनि के प्रसार को कम करने के लिये कच्ची सड़कों एवं खनन क्षेत्र के चारो ओर हरित पट्टिका का विकास किया जायेगा, खनन उपकरण पर काम करते समय कोविड–19 को देखते हुये कान के मफ, मास्क और सभी आवश्यक पी.पी.ई. प्रदान किये जायेंगे, कोविड–19 से संबंधित सामाजिक मानदंड और अन्य संचालन प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। विस्फोट के दौरान उच्च शोर स्तर, अधिक दबाव और जमीनी कंपन

प्रभाव और शोर के लिये फ्लाई राक व भू–कंपन को नियंत्रित करने हेतु साईंटिफिक नियंत्रण विस्फोट की पद्धति अपनाई जावेगी, पंजीकृत ब्लास्टिंग ठेकेदार से नियंत्रित वातावरण में नियंत्रित ब्लास्टिंग की जायेगी। चुना पत्थर की पत्थर की खदानों में पानी का उपयोग मुख्य रूप से घरेलू उपयोग, धूल शमन और वृक्षारोपण के लिये किया जायेगा। धूल शमन और वृक्षारोपण के लिये आवश्यक पानी बारिश के पानी के माध्यम से मिलेगा, जो कि विकसित खनन गड्ढों में जमा हो जायेगा, केवल घरेलू उपयोग के लिये लगभग 0.775 घनमीटर पानी की आवश्यकता होगी जिसे टैंकर के माध्यम से पुरा किया जायेगा। खनन गतिविधियां खदान के लिये आवश्यक पानी धूल दमन प्रणाली, कार्यशाली, घरेलू सुविधाएं और ग्रीनबेल्ट विकास और अस्थायी विश्राम आश्रय में घरेलू खपत के अंतर्गत हाईड्रोलिक व्यवस्था में परिवर्तन, रिसीविंग बॉडी की सतह/भू–जल की गुणवत्ता में गिरावट हेतु सतह जल प्रबंधन के लिये सतही जल की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी, सतही पानी को डायवर्ट करने के लिये गारलैंड ड्रैन का निर्माण किया जायेगा, भूमिगत जल प्रबंधन के लिये खनिज में कोई विषैला तत्व नहीं होता है, इस प्रकार भू–जल सपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, खनन जल स्तर को नहीं काटेगा, भू–जल की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी क्योंकि खनन 30 मीटर जल स्तर की गहराई तक सीमित रहेगा जो 40 मीटर से कम है, अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिये खनन कार्य के दौरान कोई अपशिष्ट जल उत्पन्न नहीं होगा, खदान कार्यालय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिये सेप्टिक टैंक और सोख गड्ढे प्रदान किये जायेंगे। भूमि उपयोग और मिट्टी के अंतर्गत कोर जोन का मौजूदा भू उपयोग बदल जायेगा, खनन क्षेत्र में मौजूदा वृक्षारोपण की सफाई के कारण प्रभाव, वायुजनित धूल के जमने के कारण प्रभाव से निपटान के लिये खनन के प्रत्येक चरण से पहले चरण–विशिष्ट नियंत्रण और शमन उपायों को शामिल करने के लिये प्रासंगिक ई.एम.पी. को अधतन और कार्यान्वित करना। ठोस अपशिष्ट के निपटान के कारण भूमि क्षरण, हवा और पानी के कटाव के लिये ऊपरी मिट्टी का एक्सपोजर के लिये खनन गतिविधि से पहले शीर्ष मिट्टी को लीज क्षेत्र में परिभाषित, परिमार्जित और संग्रहित किया जायेगा और इसका उपयोग वृक्षारोपण के उद्धेश्य से किया जायेगा। मौजुदा जीवों का विस्थापन या हानि, वनस्पति की हानि के लिये वृक्षारोपण के द्वारा पट्टों की सीमा को कवर किया जावेगा, जंगली और घरेलू पशुओं के गिरने या खिसकने के खतरे को कम करने के लिये खनन खदानों में चारो ओर से तार फेंसिंग किया जायेगा, चूनापत्थर के परिवहन के दौरान उपयोग में आने वाली वाहनों के ध्वनि स्तर को कम करने के लिये वाहनों को सही रख–रखाव किया जावेगा। सुरक्षित सीमा से अधिक ध्वनि उत्सर्जन से झुंझलाहट, नींद में खलल और सवास्थ्य पर प्रभाव के लिये मजदूरों के लिये निर्मित अस्थायी आश्रय में घरेलू दूषित जल उत्पन्न होगा, जिसका सेप्टिक टैंक व सोक पिट के माध्यम से निपटारे की व्यवस्था की जायेगी ऑन–साईट प्राथमिक चिकित्सा सुविधायें प्रदान की जायेगी और आपात स्थिति में कर्मचारियों को स्थानीय समुदाय तक पहुचाया जायेगा। खदान की वैधानिक सीमा में 1.25 हेक्टेयर क्षेत्र में 03 पंक्तियों और 02 मीटर की दूरी पर स्थानीय प्रजाति के पौधों को ध्यान में रखते हुये जामुन, आम, कहवा, करंज, शिशु बरगद, पीपल आदि पौधे सुरक्षा हेतु कांटेदार बाड़ के साथ लगाये जायेंगे। सामाजिक

आर्थिक पर्यावरण पर प्रभाव के अंतर्गत प्रस्तावित रोजगार क्षमता और बेहतर ढांचागत सुविधों के कारण कुछ प्रभाव सामाजिक आर्थिक परिवेश के लिये सीधे लाभकारी होंगे जबकि कुछ प्रतिकूल प्रकृति के होंगे सामाजिक आर्थिक वातावरण पर परियोजना का प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनो हो सकता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसरों में वृद्धि जिससे क्षेत्र के लोगो की आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी। परियोजना के परिचालन चरण के दौरान प्रत्यक्ष रोजगार की वृद्धि प्रगतिशील होगी, जबकि स्थानीय आबादी के लिये वित्तीय सुधार भी होगा जो व्यस्त बढ़ते हुये परिवहन वाहन और परिवहन क्षेत्र की सेवाओं से संबद्ध सुविधाओं को पूरा करने के लिये खुद को शामिल करेंगे। बेहतर नौकरी और व्यवसायिक अवसर के कारण सकारात्मक प्रभा, कम भूमि वाले श्रमिक वर्ग के लोगो के लिए आजीविका विकल्प बनाकर सकारात्मक प्रभाव बनाया जायेगा, ग्रामिणों के लिये बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार सुविधा बनाकर सकारात्मक प्रभाव बनाया जायेगा, परियोजना गतिविधि से कोई भूमि या मानव बस्ती प्रभावित नहीं होगी, गावों के स्थान के आधार पर हवा, पानी, मिट्टी के प्रदूषण के कारण नकारात्मक प्रभाव हो सकता है जिसके उपाय के लिये सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान किये गये आवश्यकता मूल्यांकन के आधार पर परियोजना लाभ अध्याय में विस्तृत धन के साथ–साथ सामाजिक आर्थिक विकास के लिये संपूर्ण योजना है। सुरक्षित पेयजल की आपूति, गावों में वृक्षारोपण, ग्रामिणों के लिये स्वास्थ्य सुविधा, लोगो की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा सुविधा और ग्राम समिति के माध्यम से कार्यान्वित किये जाने जैसे विकास कार्य किये जायेंगे। वायु प्रदूषक और शोर को रोकने के लिये पट्टे की सीमा के चारो ओर सघन ग्रीन बेल्ट विकसित की जायेगी। एक योग्य खान प्रबंधक के प्रबंधन नियंत्रण और निर्देशन में पुरा खनन कार्य किया जायेगा। डी.जी. एम.एस. कई स्थायी आदेश, मॉडल स्थायी आदेश और परिपत्र जारी करता रहा है जिनका पालन आपदा के मामले में खान प्रबंधन द्वारा किया जायेगा। सभी खनन कार्यो के दौरान सभी सुरक्षा सावधानियों और धातुयुक्त खान विनियम 1961 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जायेगा। ओपनकास्ट खदान के किनारों की उचित रूप से फेंसिंग की जावेगी। कामकाज के अंतिम चरण में पक्की दीवार के साथ घेरा जायेगा। खनन पिट से पानी बाहर निकालने के लिए उच्च क्षमता वाले पंपों का प्रावधान। बरसात के मौसम में खदान के गडढे में सतही जल के किसी भी प्रवाह से बचने के लिए माला नालियों और मिट्टी के बांधों की जॉच और नियमित रखरखाव। खुदाई की जगह और बेंच की ऊचाई और चौड़ाई खनन नियमों के अनुसार उचित रूप से बनाये रखी जायेगी। उत्खनन ऊपर से नीचे की ओर किया जावेगा। किसी भी तरह के ओवरहैंड की अनुमति नहीं होगी। अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। भू–वैज्ञानिक दशा जैसे स्लीप, फाल्ट आदि के अस्तित्व में काम करते समय विशेष ध्यान और अपेक्षित सावधानी बरती जायेगी। श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये बेंचों का नियमित रख–रखाव किया जावेगा। कर्मचारियों को सभी सुरक्षा उपकरण जैसे सेफ्टी बूट, हेलमेट, गॉगल्स आदि का प्रावधान उपलब्ध कराया जाता है और उनके उपयोग के लिये नियमित जांच की जावेगी। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों में पी.पी.ई. को कार्यस्थल पर श्रमिकों को प्रदान किया जावेगा। विद्युत उपकरणों का उचित रख–रखाव

एवं रात्रि के समय प्रकाश की उचित व्यवस्था खनन स्थल पर की जावेगी। रात्रिकालिन उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा। फ्लाई राक व भू कंपन को नियंत्रित करने हेतु साईंटिफिक नियंत्रित विस्फोट को पद्धति अपनाई जावेगी। खनन अधिनियम 1952 के प्रावधानों एवं इसके तहत बने नियमों की पालना सुनिश्चित की जायेगी। सफाई सुविधाये उपलब्ध करवाई जायेगी। सभी कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार और चिकित्सासुविधाये एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य औरसुरक्षा के लिये सुरक्षा उपाय अपनाये जायेंगे। श्रमिकों को सभी आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा कक्ष और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। खदानों में उचित अग्निशमन सुविधाओं से सुसज्जित किया जायेगा। माईन्स नियम 1956 के अनुसार प्रारंभिक चिकित्सा जांच और श्रमिकों की आवधिक चिकित्सा जांच आयोजित की जायेगी। निर्माण के लिए उपयोगी आर्थिक संसाधन उपलब्ध करना, रोजगार पैदा करना, अध्ययन क्षेत्र के लोगो की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार, भौतिक बुनियादी ढांचे में सुधार, सामाजिक अवसंरचना में सुधार, रोजगार क्षमता में वृद्धि, खनन के दौरान और बाद में हरित आवरण में वृद्धि, अवैध खनन की रोकथाम, राजकोष में योगदान परियोजना के लाभ है। स्थानिय स्कूलों में आवश्यकतानुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग संयंत्र की स्थापना, टॉयलेट में रनींग वाटर प्रबंधन, पीने के पानी की व्यवस्था तथा वृक्षारोपण के कार्य में सी.ई.आर मद से व्यय किये जायेंगे। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कलस्टर परियोजनाओं के क्रियाकलापों के प्रारंभ होने के साथ ही आस–पास के क्षेत्र में एवं स्थानीय निवासियों को जीवन स्तर को ऊपर उठाने और बुनियादी ढांचें के विकास का अवसर प्राप्त होगा। कलस्टर परियोजनाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनो रूप से रोजगार का सृजन होने से क्षेत्र के निवासियों को उपलब्ध संशाधनों के साथ आगे बढ़ने के लिये प्रेरित करेगा। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह कलस्टर परियोजनाओं से राज्य के राजकोष में राजस्व में भागीदारी के साथ–साथ राज्य के वित्तिय विकास में अपना अंशदान एवं योगदान भी देगा। जो राज्य शासन के वित्तिय विकास में क्षेत्र निवासियों की भागीदारी साबित करेगा। धन्यवाद।

तदोपरांत पीठासीन अधिकारी द्वारा परियोजना से प्रभावित ग्रामीणजनों/परिवार, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, जन प्रतिनिधियों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारियों, समुदायिक संस्थानों, पत्रकारगणों तथा जन सामान्य से अनुरोध किया कि वे परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव, जनहित से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर अपना सुझाव, विचार, आपत्तियां अन्य कोई तथ्य लिखित या मौखिक में प्रस्तुत करना चाहते है तो सादर आमंत्रित है। यहा सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई जा रही है।

आपके द्वारा रखे गये तथ्यों, वक्तव्यों/बातों के अभिलेखन की कार्यवाही की जायेगी जिसे अंत में पढ़कर सुनाया जायेगा तथा आपसे प्राप्त सुझाव, आपत्ति तथा ज्वलंत मुद्दों पर प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार द्वारा बिन्दुवार तथ्यात्मक स्पष्टीकरण भी दिया जायेगा। सम्पूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी, पुनः अनुरोध किया कि आप जो भी विचार, सुझाव, आपत्ति रखे संक्षिप्त, सारगर्भित तथा तथ्यात्मक रखें ताकि सभी कोई सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिले तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने का अनुरोध किया गया। लोक सुनवाई में

लगभग 300–400 लोगों का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 107 लोगों ने हस्ताक्षर किये। इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जो निम्नानुसार है –

**सर्व श्रीमती/सुश्री/श्री –**

1. निराकार पटेल, गुडेली – ग्राम पंचायत में बाहर के सेठ आते है और एन.ओ.सी. पास करवा लेते है। और नियम के पालन को करेंगे कहकर, नियम के पालन को ताक में रखकर यहा काम करते है। धुल उड़ाते है। और ग्रामीण उद्योग के नाम से लेकर ये लोग मशीन द्वारा काम करवाते है और ग्रामीणों को बेरोजगार कर देते है
2. शशिभुषण, गुडेली – यहा प्रदूषण बहुत ही खराब है रात को बहुत आवाज आता है। सोने में बहुत डिस्टर्ब होता है, बच्चो के लिये भी बहुत तकलीफ है। पानी बहुत ही जहरीला है फ्लाई एश पाट रहे बच्चे लोग बीमार हो रहे है।
3. प्रेम सिंह श्रीवास, गुडेली – हम जन्म से यहां रह रहे है। जितने भी खदान हुआ है सेठ लोग आते है, क्रशर खुलवाते है और सब को सुविधा देंगे बोलते है, मैं गरीब आदमी अपना मकान बनवाया था, पुरा घर क्रेक हो रहा है बारूद फटने के कारण। जिंदल जैसे कंपनी लगाया और दुसरे गांव को अन्य जिले में व्यवस्था किया और मकान दिलवाया वैसे ही हमारे यहा होना चाहिये, मुआवजा देना चाहिये, और मकान बना कर देना चाहिये। हम यहां नहीं रहना चाहते है ताकि हमारे बच्चे खुशी से रह सके।
4. गुलाब पटेल, टिमरलगा – खदान के बारे में कुछ जानकारी मिली है उसे व्यक्त करना चाहता हूँ मेसर्स जगदम्बा स्पंज प्राईवेट लिमिटेड, प्रोपराईटर शिव कुमार अग्रवाल जिनका 4–5 भूमि जो कि आदिवासी है, आदिवासी जमीन सहमति में लिया गया है जिनका नाम है मोहर सिंह, पिता–कुनु, जाति–गोड, चैतराम, जाति–सौरा, रामधिन, पिता–काचि, गुड़ेली, जाति–सौरा, घुरउ, पिता–मांगो इनका जाति नहीं दिया गया है और यह बड़े पैमाने से खदान चलने पर ग्राम–गुड़ेली को पानी की समस्या से जुझना पड़ता है। मार्च से लेकर 15 जुलाई तक पानी की बहुत समस्या होती है, बस्ती में टैंकर से पानी लाना पड़ता है जिसमें मैं ग्राम–टिमरलगा से आपत्ति दर्ज कर रहा हूँ और हमारे ग्राम–टिमरलगा के भाई लोग भी आपत्ति दर्ज किये है इनका मैं पावती चाहता हूँ।
5. फिरतीनबाई मांझी, गुडेली – हमारे घर के सामने बड़ा–बड़ा ब्लास्टिंग हो रहा है, मेरे घर के सामने में, बहुत हो गया ब्लास्टिंग मेरे घर में दीवाल नहीं है, मैं गरीब हूँ इसलिये मैं यहा आई हूँ। इंदिरा आवास भी मेरे को नहीं मिल रहा है। खदान के पास मेरा घर है मेरे घर के सामने बहुत बड़ा–बड़ा ब्लास्टिंग हो रहा है, जा कर देख लेना मेरे घर को।
6. कमलाबाई, सोनाडुला – यहां हमर रोटी–पानी, बाल–बच्चा मन पढ़त हे, कमात–खात हे। इसमें हमे आपत्ति नहीं है। हमर जो पंचायत सोना डुला में इंदिरा आवास नहीं है हमन ला बहुत तकलीफ मिलत हे।

7. लक्ष्मीनारायण पटेली, गुडेली – मै गांव का मालगुजार हूँ और यहा का निवासी हूँ यहां क ब्लास्टिंग में मेरा घर क्रक हो गया है। ब्लास्टिंग करते है तो मेरा घर हिलता है और मेरा जो 05 एच.पी. का बोर था वो भी खतम हो गया, सिर्फ सिंगल फेस का 04 बालटी पानी देता है 01 दिन में। इस तरह का हाल है, एक बार मैं माईनिंग में कम्प्लेन भी किया था और माईनिंग वाले आये और ज्यो का त्यो रफा–दफा कर दिये, ब्लास्टिंग नहीं होता है लिख कर मेरे को नोटिस भी थमा दिये, लेकिन आज ब्लास्टिंग इतना चल रहा है 75 प्रतिशत घन हमारे यहा का ढह चुका है और इस तरह का ब्लास्टिंग होगा तो पुरा घर नीचे गिर जायेगा। इसलिये मेरा अनुरोध है कि पुरा ब्लास्टिंग को खतम कर दे।
8. सुमति, सोनाडुला – पानी का बहुत समस्या हैं हमारे सोनाडुला गांव में। घर–घर में नल नहीं है, पानी के लिये बहुत दुःख पा रहे है और रोड बहुत खराब है हमारे सोनाडुला का, गिरते–पड़ते रहते है।
9. हलधर साहू, गुडेली – ये तीनो प्लांट का मै सहमत हूँ जिससे गुड़ेला का गौण खनिज से जो विकास होगा और जितने भी जम्मू–काश्मिर जा रहे है उनको रोजगार दिया जायेगा। जिससे मैं तीनो माईंस से सहमत हूँ।
10. किशोर, गुडेली – समर्थन है क्योंकि क्योंकि इस सारे क्षेत्र में विकास हो रहा है।
11. राजेश कुमार चौधरी, गुडेली – मैं तीनों खदान के लिये सहमत हूँ क्योंकि जो आदमी बाहर कमाने–खाने के लिये जाते है वो जायेंगे ही और गांव का विकास होगा।
12. नरेशचंद्र साहू, गुडेली – बेरोजगारो को रोजगार दिया जाये और लीज के लिये समर्थन है।
13. शिवकुमार सिदार, गुड़ेली – मैं गुड़ेली से हूँ मेरो को रोजी–रोटी के लिये रोजगार चाहिये
14. डोलकुंवर सिदार, गुड़ेली – हमारे यहा बहुत प्रदूषण हो रहा है खदानों में बड़े–बड़े मशीनों में काम होने से। हम लोगो को बड़े–बड़े मशीनो से काम नहीं चाहिये हमे रोजगार चाहिये।
15. मालती साहु, सोनाडुला – हम लोगो को काम चाहिए।
16. उरांव यादव – मैं यहा कमाता हूँ और खाता हूँ और मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
17. प्रदीप कुमार नेताम, सोनाडुला – मैं यह बनाता चाहता हूँ कि यहां मंच में पांच प्रतिशत महिला उपस्थित नहीं है तो इस कार्याक्रम को रद्द किया जाये। पहले गुडेली वाले जितने भी है उनको यहां बुलाया जाये क्योंकि गुड़ेली वालो को ही रहना है बाहर वाले को रहना नहीं है। गुड़ेली वाले केवल 05 प्रतिशत है बाकी सब बाहर के है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब तक गुड़ेली वाले नहीं हाये तब तक इस कार्यक्रम को रद्द किया जाये। यहा जो भी खुल रहा है उससे आम आदमी को कोई फायदा नहीं हो रहा है, जो फायदा हो रहा है बाहर वालो का हो रहा है और उन लोगो का क्या है बाहर से आते है और चले जाते है, रहना हम लोगो को यहा है, हम लोग धुल, डस्ट खा रहे है, कई प्रकार के बिमारियों का सामना कर रहे है, उसका इलाज हम गरीब कैसे कर पायेंगे। मेरा यह कहना है कि गुड़ेले वाले का मद पहले 90 प्रतिशत हो

इसके बाद ही इस कार्यक्रम को चालु करे अन्यथा इस कार्यक्रम को रद्द करें। मेरे को इस तीनो से इनकार है। धन्यवाद।

18. रोशन प्रसाद श्रीवास, गुडेली – इस माईनिंग में कहा गया है कि सिर्फ 156 लोग ही काम कर सकते है बाकि आदमी रोजगार कैसे करेंगे। यहा 2000–3000 आदमी काम कर रहे है, जब ये माईनिंग खुलेगा तो 156–200 लोग ही काम करेंगे बाकि बेरोजगार हो जायेंगे तो उनका क्या होगा ये इन्ही लोगो को सोचना चाहिये, इस माईनिंग को बंद किया जाये।
19. राजकुमारी चौहान, सोनाडुला – हमारे गांव में कुछ चिज का साधन नहीं है आने जाने के लिये, बरसात के दिन में तो और बहुत तकलीफ होता है इतना दूर से आने नहीं सकते है।
20. रविन्द्र, ठाकुरपाली – बेरोजगार के लिये काम कर रहे है जिसके लिये कोई आपत्ति नहीं हैं।
21. गौरीबाई चौहान, सोनाडुला – हमे आवास योजना चाहिए।
22. फुलकिशन बंजारे, गुड़ेली – ये तीनो का मैं समर्थन करता हूँ।
23. गुलाब यादव – लीज में कोई प्राबलम नहीं है यहा काम करने आते है।
24. सिदार – मैं यहा काम करता हूँ और हमको इस लीज क्षेत्र से कोई प्राबलम नहीं है।
25. मदनकुंवर – काम करने के लिये हमे रखे। सुनाई– समर्थन है।
26. घसनिन, टिमरलगा – काम धंधा नही है, काम धंधा बंद करवा दिये है तो कैसे करें।
27. ज्ञानमति, टिमरलगा –
28. मीना कुमारी, – गरीब है, काम दे।
29. बिमलदास, गुडेली – तीनों खदान में आपत्ति नहीं है। हम लोग मजदुर आदमी है, मजदुरी करके ही जी रहे है ये बन जायेगा तो हम लोगो को रोजगार मिलेगा।
30. अमितराय, कपिस्दा – समर्थन है।
31. भरतभुषण, टिमरलगा – हम यहा 02–03 साल से काम कर रहे है हमें कोई आपत्ति नहीं है।
32. ओमप्रकास – समर्थन है।
33. टिकम, ठाकुरपाली – मैं तीनो से सहमत हूँ क्योंकि मैं गरीब मजदुर हूँ, यहा काम करके घर चलाता हूँ।
34. वेदराम – इससे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि हमें बाहर काम करने के लिये जाने की जरूरत नहीं है।
35. दीपक यादव, केराझर – इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
36. विनेश साहु – इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
37. परसराम साहू, गुडेली – इसके लिये कोई आपत्ति नहीं है।
38. नरेन्द्र कुमार – इसके लिये कोई आपत्ति नहीं है।
39. रोहित कुमार बंजारी – हमें कोई आपत्ति नहीं है।

40. जितेन्द्र कुमार निराला, प्रधानपुर – हमें कोई आपत्ति नहीं है।

41. सरियाराम पटेल, गुडेली – हमें कोई आपत्ति नहीं है।

42. मनोजकुमार चौहान, अमलीडीपा – मुझे इस लीज से कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है।

43. तेजराम पटेल, लालाधुर्वा – जनसुनवाई होना चाहिये अच्छा लगता है।

44. नरेश, अमलीपाली – समर्थन है। प्रदूषण हो रहा है इसका निरावण किया जाये।

45. कार्तिकराम मैत्री, – लीज के लिये मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

46. – जो भी यहा बात हो रहा है आपत्ति नहीं है अनापत्ति नहीं है ये सब ठीक है लेकिन यहा जितने बाहर से आये हुये है वो लोग बोलते है ये सब गलत है।

47. सुनील कुमार बंजारा, बंजारी – मैं तीनो का अपना पूर्ण समर्थन देता हूँ क्योंकि अभी सब को पता है हमारा सारंगढ़ जिला अलग हो गया है जिससे राजस्व में सब को फायदा होगा, रायगढ़ में जितना भी माईंस है वो अलग हो गया है, तमनार जितने भी गौण खनिज है वो अलग हो गये है सारंगढ़ को राजस्व से बहुत फायदा मिलेगा जिससे पुरा संबंधित क्षेत्र में उपयोग होगा। जितना भी यहा के राजस्व से फायदा होगा वो सार्वजनिक रूप से फायदा होगा। सभी क्षेत्र के लोगो को रोजगार का फायदा मिल रहा है यहा पर। इसलिये मेरा समर्थन है।

48. ताराबाई, गुडेली – खदान और क्रशर बंद करना चाहिये।

49. मनोज जायसवाल, बंजारी – ग्राम गुडेली को हमने एक नाम दिया था छोटा जम्मु काशमिर, क्योंकि लोग जीवन यापन के लिये जम्मु काशमिर जाते थे, ग्राम गुडेली में रोजगार के अवसर थे। चारो तरफ के हजारो लोग काम करने के लिये आते थे, हम पुछते थे कहा जा रहे हो तो वो लोग शान से बोलते थे छोटा जम्मु काशमिर ग्राम–गुढ़ेली जा रहे है, लेकिन आज देखिये क्या स्थिति है, बड़े–बड़े माईनिंग व ब्लास्टिंग मशीनों के कारण सभी का रोजगार छीना गया। इस क्षेत्र के लोग फिर से जम्मु काशमिर जाना चालु कर दिये है। मैं यह पुछना चाहूंगा ग्राम–गुढ़ेली को फीर से छोटा जम्मु काशमिर बनाना चाहेंगे कि नहीं। यहा पहले से एक बड़ा माईनिंग लीज खदान है जिसमें ब्लास्टिंग होता है, हुक्का जैसे स्थिति होता है, 04 किलोमीटर तक उसका प्रभाव पड़ता है, दीवारे क्रेक हो चुके है, जल स्तर गर्मी के दिनों में कम होता है, अन्य गावों से टैंकरों द्वारा पानी लाया जाता है। क्षेत्री की जनता एक माईनिंग लीज, एक खदान से परेशान है तो सोचिये 03 और बड़ा खदान बन जायेगा तो कितनी समस्या पैदा हो जायेगी। प्रस्तावित जगह के नजदीक लात नाला, बस्ती, मॉ चंद्रहासिनी मंदिर, भव्य जगन्नाथ मंदिर जो गुढ़ेली में है जो क्रेक हो चुका है। सारंगढ़ जिला बनने जा रहा है यहा से 14 किलोमीटर की दूरी पर है, खदानों की संख्या बढ़ने बारूद सप्लाई बढ़ेगा महोदय से सब खतरे का संकेत है। महोदय जी बारूद से नहीं तालाबो में बारूद ब्लास्टिंग कर के मछली मारा जाता है, कुछ दिनों में आदमी भी मारेंगे। भाईयों से मेरा निवेदन हे जो काम हाथ से संभव है

उसे मशीन से ना करवाये, इस क्षेत्र के लोगो को रोजगार देने का प्रयास करें। कल के लिये हमे आज को बचाना है, माईनिंग लीज को हमे रोकना है, बड़े–बडे मशीन आयेंगें हमे बेरोजगार बनायेगें, बारूद के ढेर पर बैठेंगे अपने घरों के दिवारों को कैसे बचायेंगे, वायु प्रदूषण एक समस्या है हमें इसे जड़ से मिटाना है, वायु प्रदूषण बढ़ेगा नई बीमारियां लायेगा, तरक्की के खातीर हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, अपने ही हाथो से हमने हवा एवं पानी को जहरिली बनाई है। समय रहते स्वास्थ्य पर करो विचार नही तो पछताओंगे जीवन भर बार–बार।

50. नरेन्द्र पटेल – आपत्ति है।

51. लोककुमार सिदार, गुडेली – हमारे गांव में करीब 10 साल से अवैध उत्खनन हो रहा है। अभी तक माईनिंग विभाग से ग्रामपंचायत गुडेली में जितना भी लीज क्षेत्र प्राप्त हुआ है आज तक जानकारी नहीं है। और आज लोकसुनवाई हो रहा है कि 03 ऐसे–ऐसे को लीज दिया जाना है जिससे आज हमारे गांव गुडेली में अवैध रूप से उत्खनन करेंगे तो इसका बिस्फोटक गुडेली गांव को ही भुगतना पड़ेगा। पर्यावरण विभाग से मेरा अनुरोध है और माईनिंग विभाग से मेरा अनुरोध है आज तक गुडेली में जितना भी खदान अवैध उत्खनन हुआ है उसमें हमें पुरा जानकारी चाहिये कि कितने लोगो को यहा लीज प्राप्त है उसका हमें ग्रामपंचायत गुढ़ेली से और वहा के जनता द्वारा कितने लोगो का बना है उसकी हमे जानकारी चाहिये। आप माईनिंग विभाग से पर्यावरण विभाग से अनुरोध है कि और एक चिज का और विरोध है कि ग्राम–गुढ़ेली में फ्लाई ऐश का दुरूपयोग बहुत हो रहा है जिससे हैंड पंप में, पेय जल में बहुत नुकशान हो रहा है इसके लिये आप लोगो से आग्रह है इसको जल्द से जल्द रोकने की कृपा करें ताकि जन–जीवन पर प्रभाव ना पड़े। है लीज प्राप्त है माईनिंग एवं प्यावरण से जानकारी चाहिए। एक विरोध और है ग्राम गुडेली में फ्लाई का बहुत डम्पींग हो रहा है, जिसे जल्द से जल्द रोकें ताके जल जीवन को प्रभाव न पड़ें।

52. टिकेन्द्र, गुडेली – लीज से पुरा विरोध हैं।

53. ललीत कुमार पटेल, गुडेली – लीज से पुरा विरोध हैं।

54. भरत, गुडेली – मैं लीज के विरोध में हूँ। पहले बिना लीज के ब्लास्टिंग हो रहा हैं, खुले आम हो रहा है लीज बन जायेगा इसके लिये मैं विरोध में हूँ।

55. लोचन पटेल, गुड़ेली – लीज क्षेत्र का विरोध है।

56. दुर्गेशी यादव, गुढ़ेली – लीज क्षेत्र का विरोध है।

57. निराकार पटेल – लीज का मैं विरोध करता हूँ। जितना भी दिया गया है वो लोग अभी तक ठेका में चला रहे है और 2 नंबर का पत्थर खरीदते है और 2 नंबर का रायल्टी देते है।

58. धमेन्द्र – विरोध।

59. ललीत कुमार पटेल, गुडेली – लीज क्षेत्र का विरोध है क्योंकि खदान होने से जमीन का पानी सुख जाता है।

60. शशीभुषण – लीज का विरोध है।

61. हीराधर – लीज का विरोध है।

62. प्रदीप नेताम – मैं लीज का पुरजोर विरोध कर रहा हूँ।

63. ईश्वर पटेल, गुड़ेली – मैं लीज का विरोध कर रहा हूँ।

64. संजय चौहान, गुडेली – गुड़ेली में खुलने वाले लाईम स्टोन प्रोजेक्ट इसका मैं समर्थन करता हूँ क्योकि कोई भी प्राजेक्ट में प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ दोनो होता है। कोई जरूरी नहीं है कि इससे हमे प्रत्यक्ष लाभ हो और खुद का विकास हो। मै चाहता हूँ कि इससे यदि क्षेत्र का विकास होता है, यदि मेरे सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है तो इसका मैं समर्थन करता हूँ क्योंकि अभी नव जीला गठन होने वाला है सारंगढ़ जो कि रायगढ़ से अलग होकर बड़ रहा है और जितने भी उद्योग धंधे है वो रायगढ़ में रह जा रहा है। और यह हमारा छोटा सा जिला ना तो यहा उद्याग धंधा है और ना ही यहा किसी प्रकार की खदाने है पुरा कोल माईन्स रायगढ़ जिला में है ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे सारंगढ़ जिले में। और यहा नवीन जिला बन रहा है तो यहा क्षेत्र का विकास तो चाहिये यदि हम विकास की बाते करेंगे और हमारे पास किसी भी प्रकार के राजस्व की आय का श्रोत नहीं रहता है तो हमारा विकास एक सपना रह जायेगा और इस प्रोजेक्ट में यदि राजस्व आता है शासन को तो इसका मैं समर्थन करता हूँ। आज तक जितने भी ब्लास्टिंग और घरो की दरारो की बात कर रहे है वो जितने भी हुये है ब्लास्टिंग से हुये है यदि शासन–प्रशासन आज लीज दे रहा है तो हमारे गुड़ेली–टिमरलगा पंचायत में अवैध खदाने लगभग–लगभग पूर्णतः बंद हो जायेगी जो कि हमारे लिये और शासन के लिये बहुत हितकारी रहेगा तो इसलिये मैं इस लीज का समर्थन करता हूँ।

65. रतराम, गुडेली – लीज का समर्थन करता हूँ।

66. गंगाधर सिदार, गुडेली – लीज का समर्थन करता हूँ।

67. महेश साहू, गुड़ेली – इस लीज का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ।

68. राजेश, बसंत, गुडेली – इस तीनो लीज से सब बेरोजगारों को काम मिलेगा इसका मैं समर्थन करता हूँ।

69. अजय पटेल – विरोध है।

70. अनिल साहु – लीज का मैं समर्थन करता हूँ।

71. विकास कुमार साहू, बंजारी – लीज का मैं समर्थन करता हूँ।

72. जीतेन, गुड़ेली – मैं लीज का समर्थन करता हूँ।

73. छोटु, गुड़ेली – मेरे को लीज से कोई आपत्ति नहीं है।

74. आनंद साहू, गुड़ेली – लीज से समर्थन है।

75. रजत कुमार चौहान, गुड़ेली – मैं लीज से सहमति में हूँ।

76. कृष्णकुमार – मैं इस लीज से सहमत हूँ।

77. हरिभुषण मानिकपुरी, गुड़ेली – मैं लीज से समर्थन हूँ।

78. इमरानचंद, गुड़ेली – मैं लीज से समर्थन हूँ।

79. दिलेश्वर, टिमरलगा – मैं लीज से सहमत हूँ।

80. यादुलाल – मैं लीज से समर्थन हूँ।

81. नेतराम यादव, गुड़ेली – मैं लीज से समर्थन हूँ।

82. सीताराम यादव, धौराभाठा – मैं लीज से समर्थन हूँ।

83. विश्वनाथ – समर्थन हैं। मेरी जमीन को गड्ढा कर दिये है। इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमारे जमीन में खदान बना दिये है। 1 एकड़ जमीन रोड किनारे में है उसमें तेल टंकी बना दिया गया है।

84. यशंवत पटेल, गुडेली – इस लीज से पुरा विरोध हैं।

85. कमलेश कुमार नेताम – इस लीज से समर्थन हैं। इन लोग जो विरोध कर रहे है पैसा वाले पार्टी है, हम लोग गरीब है कमा कर खाते है।

86. रविशंकर सिदार, टिमरलगा – मैं यह प्रत्यक्ष कहना चाहता हूँ कि जो फ्लाई ऐश डाल रहे है, धुल धक्कड़ हो रहा है, जिससे एक्सिडेंट हो रहा है तो उसके बारे में हम लोग यह कह रहे है कि मैं ग्राम–टिमरलगा में पढ़ रहा था तो कलेक्टर डलवा रहा था फ्लाई ऐश को, फ्लाई ऐश डाल रहे थे तो टिमरलगा के जनता को पुछे है क्या, एन.ओ.सी. पास कर देते है टीमरलगा के जनतो को पुछे है क्या, कोई इस बात को ध्यान नहीं देता, पंचायत भी ध्यान नहीं देता, भगवान जाने उनका परसेंटेज रहता है क्या, किसका परसेंट रहता है, मै भी सुनना चाहता हूँ कि कलेक्टर खुद पटवा रहे है क्या, कलेक्टर काहे जनता के हक को मार रहे है, कलेक्टर चाह रहे है कि जनता मर जाये, फ्लाई ऐश पाट रहे है तो उनका ऑख नहीं दिख रहा है क्या, गाड़ी चला रहे है तो उनके आखों में चला जा रहा है तो कलेक्टर जनता को मार रहे है कि हम लोग मार रहे है इसका सुनवाई जल्दी से जल्दी करवाओं मेरा वहीं मांग है ग्रामपंचायत–टिमरलगा से।

87. लक्ष्मीनबाई, गुडेली – जहा रोजी रोटी चल रहा है उसमें लीज में कोई आपत्ति नहीं है।

88. फुलबाई साहू, गुडेली – हमारा रोजी–रोटी चल रहा है, कमा के खा रहे है।

89. चंचला राठिया, सोनाडुला – समर्थन हैं।

90. पदमा चौहान, सोनाडुला – समर्थन हैं।

91. सेतकुंवर, सोनाडुला – समर्थन हैं।

92. यदुकुमार, कपिस्दा – इस तीनों लीज का समर्थन करता हूँ।

93. अहिल्या चौहान, गुडेली – इस लीज का समर्थन हैं।
94. गणेशी चौहान, गुडेली – लीज का समर्थन हैं।
95. सोना चौहान, सोनाडुला – समर्थन हैं।
96. गुलाबी, सोनाडुला – रोजीरोटी मत मारों।
97. पदमा बाई चौहान, सोनाडुला – रोजी–रोटी को मत मारो।
98. कौशल, गुडेली – समर्थन हैं।
99. सुदर्शन, गुडेली – समर्थन हैं।
100. संतोष बेहरा, गुडेली – समर्थन हैं।
101. सीताराम, गुडेली – समर्थन हैं।
102. फिरोज पटेल, गुडेली – समर्थन हैं।
103. खगेश्वर, गुडली – समर्थन हैं।
104. प्रितम कुमार, गुडेली – समर्थन हैं।
105. धरमेन्द्र, गुडेली – समर्थन हैं।
106. सम्पत भारती, गुडेली – समर्थन हैं।
107. अभिमन्यु साहू, बंजारी – इस लीज से समर्थन हैं। सभी को रोजगार मिलेगा इसलिये मेरा समर्थन है।
108. भोजराम निषाद – मैं इस लीज से सहमत हूँ।
109. दीपक कुमार, सिंघल – मेरे नाम से एक चुनापत्थर की लीज पहले से स्वीकृत है और जैसे रायगढ़ से सारंगढ़ जिला अलग हो रहा है यहा सारंगढ़ जिले को राजस्व के लिये यह लीज स्वीकृत होती है तो बहुत सारी आय सारंगढ़ जिला को होगी, इसलिये मैं कहता हूँ कि इस लीज को जल्द से जल्द स्वीकृत किया जाये।
110. मनीष कुमार अग्रवाल – इस लीज से सहमत हूँ।
111. सोनु सिंह, – इस लीज का समर्थन करता हूँ इसमें रोजगार और अवैध को वैध बनाने की शासन की बहुत अच्छी योजना है इसका पूर्णतः समर्थन करता हूँ।
112. सतीष अग्रवाल – इस लीज से पूर्ण रूप से सहमत हूँ क्योंकि इससे जो राजस्व मिलेगा वो क्षेत्र के विकास में खर्चा होगा और जो अवैध माईनिंग है वो वैध हो जायेंगे इसलिये मैं सहमत हूँ।
113. सुभाष – मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं।
114. जगन्नाथ, गुडेली – समर्थन हैं।

115. निखिल अग्रवाल, रायगढ़ – इस लीज को स्वीकृति तभी प्रदान करनी चाहिये राजस्व के ही आय से गवर्नमेंट और पब्लिक चलती हैं, डी.एम.एफ. का फंड इस गांव के लिये हमेशा सेंशन होता है, जितनी जल्दी स्वीकृति होगी उतनी ही जल्दी गांव वालो को फायदा होगा।
116. गोपाल अग्रवाल, रायगढ़ – मैं लीज के लिये सहमत हूँ।
117. राजकुमार अग्रवाल, गोड़म – ये तीनों लीज से मैं सहमत हूँ। ये लीज सारंगढ़ जिला बनने से काफी राजस्व की प्राप्ति होगी और जन सहयोग भी मिलेगा और काफी काम मिलेगा। यह लीज बनना चाहिये।
118. इद्दु कुमार बरेठ – मैं इस लीज से सहमत नहीं हूँ।
119. कुंजारे, अमलीडीह – तीनो लीज से मैं सहमत हूँ।
120. अखिलेश – मैं इस लीज से सहमत हूँ।
121. विवके अग्रवाल, खरसिया – समर्थन हैं।
122. बलराम निषाद, गुडेली – सहमत नहीं हूं।
123. शिवसागर, गुडेली – समर्थन हैं।
124. दिनेश – मैं इस लीज से सहमत हूँ।
125. रामप्रसाद, अमलीडीह – समर्थन हैं।
126. गीरीस – मुझे इस लीज से कोई आपत्ति नहीं है।
127. जयंत बहिदार, रायगढ़ – ये कलस्टर लाईम स्टोन माईन प्रोजेक्ट पूर्ण रूप से विधि के अनुरूप नहीं है। इसलिये मैं इस लोकसुनवाई को स्थगित करने की मांग करता हूँ। मेरे पास ई.आई.ए. की मिश्रीत रिपोर्ट है जिसमें नितिन सिंघल का जो माईंस है उसका वार्षिक क्षमता बताया है उसको आप लोग पढ़ कर देखने का कष्ट करेंगे। ये रिपोर्ट मेरे पास है मैं चाहता हूँ कि ये रिपोर्ट आदरणीय पीठासीन अधिकारी महोदय को दे देंगे। इसमें आप देखेंगे कि नितिन सिंघल ने पुरी रिपोर्ट में इस किताब के अपना जो लाईम स्टोन का जो वार्षिक क्षमता बताया है उसने इसमें बताया है 175061 मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन बताया है ये रिपोर्ट कंसलटेंट की है। मेरा यह कहना है कि दोनो को गिरफ्तार किया जाये, मालिक को भी और वो जो कंसलटेंट है उसको भी गिरफ्तार किया जाये, झुठी रिपोर्ट दी है। हमारे भारत सरकास के पर्यावरण मंत्रालय ने जो टी.ओ.आर. जारी किया है और जो छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल ने जो पत्र जारी किया है कलेक्टर महोदय को उसमें उसने इसका वार्षिक उत्पादन क्षमता नितिन सिंघल के खदान का 155061 मीट्रिक टन बताया है, अगर टी.ओ.आर. गलत है, कलेक्टर साहब को दिया गया वो चिट्ठी गलत है तो नितिन सिंघल को दे दो अनुमति। ये पुरी रिपोर्ट खदान मालिक ने जानबुझकर कंसलटेंट के सहयोग से बनाया है और शासन को धोखा देने के नियत से ये बनाया गया है रिपोर्ट। अगर हमारा पर्यावरण विभाग रायपुर का और टी.ओ.आर. रिपोर्ट अगर सही है तो ये फैक्ट्री को अनुमति नहीं मिलना चाहिये और

पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया में इस लोकसुनवाई को स्थगित कर देना चाहिये। पर्यावरण संरक्षण के लिये भारत सरकार ने जो टी.ओ.आर. जारी किया है और उसके अनुरूप इनको पर्यावरण अध्ययन करना था वो भी गलत हुआ है टी.ओ.आर. जारी होने के पहले इन्होने डाटाबेस कलेक्शन किया है, पर्यावरण अध्ययन किया है तीन महिना पहले ये कैसे संभव है। अगर टी.ओ.आर. जारी होने के पहले ये अध्ययन किये है तो टी.ओ.आर. जारी करने का मतलब क्या है। खनिज विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने एल.ओ.आई जारी किया है 09.02.2020 को और उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये लेटर ऑफ इंटेंट के वैद्यता की अवधि 06 माह है, और ये रिपोर्ट में भी है ये चिजे। भारत सरकार ने जो टी.ओ.आर. जारी किया है उसमें भी उल्लेख है एल.ओ.आई. का और उसमें भी बताया है कि ये 06 माह से अधिक नहीं होना चाहिये। इस प्रोजेक्ट की योजना बनाने के लिये, योजना तो उन्होने बना कर दे दिया पर्यावरणीय स्वीककृति होना चाहिये 06 महिने में और आशय पत्र के अनुसार अभी तक पर्यावरणीय स्वीकृति इसको नहीं मिली है और 06 महिने से अधिक हो गया है। उसमें लिखा है कि स्वमेव ये आशय प्रत्र निरस्त हो जायेगा, अवैध हो जायेगा ये तो इसलिये इस लोकसुनवाई को रोक दिया जाये, आप दोनो महोदय से मेरा प्रार्थना है। अब पर्यावरणीय स्वीकृति देने का जो भी प्रक्रिया है उस पर रोक लगाया जाये क्योंकि परियोजना प्रस्तावक ने और कंसलटेंट ने भारत सरकार को और छत्तीसगढ़ सरकार को भी और यहा की जनता के साथ धोखा किया है, गुड़ेली, चंदरपुर, टिमरलगा, गोड़म, सारंगढ़ सभी को धोखा दिया है और रायगढ़ जिले को धोखा दिया है इसलिये इस पर रोक लगाया जाये। महोदय कोई दारू पी कर आया है, मेरे को मेरे नाक में महक रहा है, मेरे को चेक करने का अधिकार नही है। यहा इतने पुलिस है आईये चेक कीजिये मेरे अगल–बलग 50 मीटर में कोई दारू पीकर नहीं आयेगा। हटाईये तब मैं बोलूंगा। मैं नशे का, जुआ का, शराब का विरोधी हूँ और यहा पर सरकारी कार्यक्रम में कोई दारू पीकर आया है। मैने दो कानुनी प्रावधान की बात रखा है इस पर आपका क्या कहना है। जवाब कौन देगा। आप इस लोकसुनवाई को नहीं रोकेंगे क्या। कितना बड़ा अपराध हो रहा है इसके बावजुद भी आप नहीं रोकेंगे। जवाब कंसलटेंट देगा तो वो बोलेगा क्या, कि हमारे द्वारा गलती हो गई इसको रद्द कर दो फीर 06 महिने, साल भर बाद करेंगे बोलेगा क्या वो, परियोजना संचालक बोलेगा क्या, आप कैसे बाते करते है, प्रशासन गुलाम है क्या, कंसलटेंट के गुलाम है क्या कि कंसलटेंट ने खरीद लिया है आप लोगो को, आप लोग गलत बात करते है पुलिस के दम पर। 1000 पुलिस आ जाती है ताकि गांव वाले डर जाये और अपने आदमी को दारू पिला कर खड़े कर दिये। झुठी रिपोर्ट बनाये है उत्पादन क्षमता को ज्यादा बता रहे है, लेटर ऑफ इंटेंट की वैधता समाप्त हो चुकी है उसके बावजुद आप लोग चुप है। अपनी रिपोर्ट में इन्होने बताया है कि चंदरपुर जो रायगढ़ जिले में नहीं है, जांजगीर जिले में है 04 किलोमीटर और 380 मीटर है 05 किलोमीटर भी नहीं है। अपने अध्ययन में भी बताया है कि 05 किलोमीटर के दायरे में जो इन्होने अध्ययन किया है। क्या चंदरपुर को, कलमा को, बालपुर को ये जो दर्जनो गांव है 10 किलोमीटर के

रेडियस में क्या उनको सुचना नहीं देना था। केवल रायगढ़ प्रभावित होगा का इनके प्रदूषण से। भूमिगत जल पुरा चला गया नीचे, सतही जल में भी प्रदूषण हो रहा है, बीमारियां फैल रही है ये जो पत्थर खदाने है। टिमरलगा में दर्जनो पत्थर खदाने है उसका भी जिक्र नहीं है इसमें। क्यों नहीं है, ताकि इसको मंजुरी देना चाहते है, हमारे पर्यावरण विभाग को भी मालुम है, कलेक्टर महोदय को भी मालुम है 50 से ज्यादा पत्थर खदाने है यहा और क्रशर है, कितना धुल हो रहा है कितना प्रदूषण हो रहा है, यहा के लोग कैसे जीवन जी रहे है। वनस्पति भी प्रभावित है, ये गांव में पुछ लिजिये कितना मच्छर है। इस पत्थर खदान के कारण यहा का वातावरण, यहा का पर्यावरण नष्ट हो गया है उसके बावजुद भी आप लोग चुप है। चंदरपुर और जांजगीर जिला को जो प्रभावित गांव है उनको सुचना क्यों नहीं दिया गया, 10 किलोमीटर के रेडियस में अध्ययन करने का मतलब क्या है, इतना अत्याचार हो रहा है और आप चाहते है की मैं लिगली बात करू केवल। सालिनता और भाषा में बात करू यह संभव नहीं है। जब आदमी परेशान होगा तो अपनी भाषा में बात करेगा। और इन्होने रिपोर्ट दिया है ध्यान से सुनिये और आप लोग भी नोट करिये। इन्होने बताया है कि इस परियोजना के लिये कोई सतही जल और भूमिगत जल नहीं लेंगे और उन्होने बताया है कि ग्रामपंचायत गुड़ेली जल आपुर्ति के संबंध में ग्राम–गुड़ेली पानी का आपुर्ति करेगा, कहा से करेगा, उसका एन.ओ.सी. लिये है क्या, सरपंच और सचिव को जेल भेजवायेंगे एन.ओ.सी. दिया होगा तो। ग्रामपंचायत पानी देगा, खदान ये खोलेंगे, प्रदूषण ये फैलायेंगे देखीये रिपोर्ट में है। अभी तो आप हमारे कलेक्टर ही है क्योंकि आप पीठासीन अधिकारी है, रिपोर्ट की अनदेखी कर रहे है आप। कहा से पंचायत पानी आपुर्ति करेगा पुछिये उनसे और ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 16 सितम्बर 2006 में ये स्पष्ट लिखा है कि आपत्ति दर्ज करने वाला, सुझाव देने वाला परियोजना प्रस्तावक से जानकारी मांग सकता है, अभी कंसलटेंट को उपस्थित करिये। मैं जानकारी मागुंगा और वो जानकारी दे सकता है। बुलाईये कंसलटेंट को मैं पुछुंगा। अगर सरपंच, सचिव एन.ओ.सी: दिया होगा तो पानी वाले मामले में जेल हो जायेगा, अभी थाना में रिपोर्ट दर्ज करेंगे। आपको मैने जो दिया है उसमें छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, मुख्यालय का लेटर है आप देख लिजिये और आप ई.आई.ए. रिपोर्ट देख लिजिये। इसमें लिखा है कि रायगढ़ शहर ई.आई.ए. के प्रावधानों के अनुसार नजदीक का जो शहर होता है उसको उल्लेखित करना होता है। इन्होने रायगढ़ शहर 31 किलोमीटर दूर बताया है, चन्द्रपुर को क्यो किया गया, चंदरपुर 05 किलोमीटर से भी कम है, नगरपंचायत है चंदरपुर। अगर नगरपंचायत हो गया तो वो शहर है, छोटा शहर है उसका जिक्र क्यों नहीं किये, 05 किलोमीटर से कम है, ये टिमरलगा, गुड़ेली इनके जो खदान है इनसे महानदी भी प्रदूषित नहीं हो रहा है, यहा के लात नाला प्रदूषित नहीं हो रहा है, यहा के तालाब नहीं हो रहे है उसका भी जिक्र नहीं है इसमें। आप लोग नहीं करेंगे तो मैं जाउंगा एन.जी.टी. गांव वाले के मदद से और आप लोगो को अपराधी बनायेंगे। इस कंपनी वालों का, कंसलटेंट का आप लोक सहयोग कर रहे है, आप को भी हम लोग

पार्टी बनायेंगे और जेल भेजेंगे। मैं भी 10 किलोमीटर रायगढ़ से आया हूँ। इन्होने रिपोर्ट में नियरेस्ट टॉउन ऑफ सिटी रायगढ़ का नाम दिया है 31 किलोमीटर दूर। और एक बात ध्यान देंगे सर, इन्होने जगदम्बा स्पंज प्राईवेट लिमिटेड ने अपनी परियोजना रिपोर्ट में दिया है ये गुड़ेली गांव के लोग खसरा नंबर दिया है उसमें बताया है 3.113 हेक्टेयर जमीन है उसका अधिकांश जमीन आदिवासियों का है, सौरा आदिवासी, गौड़ आदिवासी, आदिवासी की जमीन केवल उद्योग सहमति पत्र लिखवा लेने से नहीं होगा। आपका कलेक्टर, आपका सरकार अनुमति देता है आदिवासी जमीन में गैर आदिवासी कोई परियोजना नहीं लगा सकता, खेती नहीं कर सकता। आदिवासी जमीन और जितनी जमीन इन्होने बताया है जगदम्बा स्पंज प्राईवेट लिमिटेड ने, नितिन सिंघल ने और श्रीमती तुलसी बसंत ने उन्होने जितनी जमीन बताया है किसी का डाईवर्शन नहीं हुआ है, बिना डाईवर्शन के खेती की जमीन में कैसे खदान खुल सकता है। आप भी पहले पर्यावरणीय स्वीकृति दे दिजिये बाद में होगा। सभी प्रक्रिया होने के बाद, सभी अनुमति मिलने के बाद पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया होनी चाहिये। मैं यह उम्मिद करता हूँ कि आप लोग फैसला करेंगे इसको स्थगित करने का, इन्ही का ई.आई.ए. रिपोर्ट, पर्यावरण विभाग से, खनिज विभाग से जानकारी लिया है सूचना के अधिकार के तहत। वर्मा सर बहुत अच्छे है जानकारी देते है परेशान नहीं करते है सामाजिक कार्यकर्ताओं को, कुरूवंशी साहब भी बहुत अच्छे है, इनके आफिस में जाओं तो कोई काम नहीं लटकता ये सभी काम नियम से करते है लेकिन यहा हमारी पिड़ा को व्यक्त कर रहा हूँ मैं, गांव वालों की पिड़ा को व्यक्त कर रहा हूँ, इसको अन्यथा नहीं लेंगे आप लोग। एस.पी. साहब और टी.आई. साहब लोग भी बहुत सहयोग करते है सामाजिक कार्यकर्ताओं का मगर उनकी मजबुरी है पुलिस विभाग की, पुलिस विभाग का क्या काम है यहा बताईये। पुलिस विभाग को और कही काम करना चाहिये लेकिन आप लोग फैक्ट्री वालों का गुलामी करते है, उद्योगो का गुलामी करते है, परियोजना मालिको का गुलामी करते है। इसलिये इतना बहुमुल्य समय को पुलिस वाले यहा पर फालतु काम के लिये देने के लिये आते है और उसका कारण है गांव वालो को डर पैदा करना पुलिस दिखा कर, क्यों ऐसा करते है। पुरी परियोजना का जॉच करीये इसमें आदिवासी जमीन कितना है और गैर आदिवासियों की जमीन कितना है। कंसलटेंट को बुलाईये सर। जो ई.आई.ए. रिपोर्ट इन्होने प्रस्तुत किया है फर्जी है, मनगढ़त है, टेबल में बनाया गया है। अभी तक कंसलटेंट को सजा नहीं दिया है आप लोगो ने, किसी भी कंसलटेंट को, सब झुठी जानकारी देते है और जो तथ्य है उनको छुपाया है। यहा इतना प्रदूषण है, जमीन भी प्रदूषित है, खेती का उत्पादन भी कम है, यहा साग–भाजी उत्पादन नहीं हो पाता है इतने प्रदूषण के कारण इसलिये ये रिपोर्ट गलत है, झुठी है, यह मनगढ़त है, इन्होने कोई अध्ययन नहीं किया, केवल सरकार को रिपोर्ट दे दिया की अध्ययन कर लिया और सरकार ने भी मान लिया। कोई कानुनी चिज है कि नहीं। मेरा आग्रह है आपसे की इस लोकसुनवाई को यही स्थगित

कर के जितने भी गलतीया है, त्रुटियां है सुधारे चाहे 06 महिला, साल भर लग जाये और इसके बाद फिर इसको प्रस्तुत किया जाये तभी यहा के लोग मंजुरी देंगे। मैं इस परियोजना का विरोध करता हूँ।

128. जितेन्द्र मांझी – विरोध है।

129. सविता रथ, जन चेतना रायगढ़ – मैं मेसर्स जगदम्बा स्पंज, नितिन सिंघल, और तुलसी बसंत जी की प्रस्तावित चुना पत्थर खनन परियोजना की आज मैं तकनिकी बिन्दुओं पर खास करके ई.आई.ए. एवं सोसल इंपेक्ट असिसमेंट रिपोर्ट यानि पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन और सामाजिक प्रभाव आंकलन के तकनिकी बिन्दु, सामाजिक पहलु और यहा सुझाव, सलाह और टिप्पणी करने के लिये हमको बुलाया गया है और हम शामिल हुये है। प्रथम मेरा आपत्ति इस जनसुनवाई की है मेरा विरोध दर्ज किया जाये। यहा पर आप जो चुना पत्थर खदान कर रहे है इसका कोई एक मालिक नहीं है बल्कि 03 कंपनी का 03 मालिक, 03 जगह का, 03 टुकड़ो में जमीन इकट्ठा कर के इसका कलस्टर स्तर में यह देश का ऐसा पहला जनसुनवाई होगा खदान के मामले में जिसमें आप लोग ये नहीं पड़ पा रहे है कि ये 03 कंपनी मिलाकर आप यह जनसुनवाई करा रहे है। क्यों करा रहे है ये जनसुनवाई अलग–अलग इसके मालिक है, अलग–अलग इसकी जनसुनवाई होनी चाहिये ना कि इनको एक साथ। कल 05 लोग इकट्ठा होंगे आप उनकी जनसुनवाई करवायेंगे, पुरी गांव की जमीन को दे देंगे खदान के लिये, उद्योग के लिये फ्लाई ऐश डालने के लिये इस तरीके की ये भर्रासाही, लाईम स्टोन की ये चुना पत्थर की पहली देश की खदान होगी जिसे आप रायगढ़ जिले में जनसुनवाई कर रहे है। आपको बता दूं कि यह जो जनसुनवाई हो रही है ये वास्तव में पुरी तरह अवैध जनसुनवाई है। इस जगदम्बा स्पंज प्राईवेट लिमिटेड की जो आवेदन आया है उस आवेदन के 01 साल बाद यह जनसुनवाई हो रही है। आपको बता दूं कि यहा पे जो 14 सितम्बर 2006 की अधिसूचना के अनुसार किसी भी परियोजना के आवेदन के 01 वर्ष बाद आप जो जनसुनवाई करा रहे हो वो 45 दिवस के अंदर ही जनसुनवाई करा लेनी चाहिये थी लेकिन अब 01 वर्ष बाद जनसुनवाई करवा रहे है इसलिये यह जनसुनवाई अपने आप में अवैध्र है। इस जनसुनवाई को तत्काल निरस्त कर के शासन–प्रशासन अपना समय बचाये जो हमारे टैक्स के पैसे से जो खर्च हो रहे है ये पंडाल लगते है, लाईट लगती है, इतने संसाधन लगाया जा रहा है। इसके खर्च को जुर्माना के रूप में कंपनी प्रबंधक और ई.आई.ए. बनाने वाले कंसलटेंट के खिलाफ एफ.आई.आर. कर के अपराधिक प्रकरण दर्ज करके उनसे वसुला जाना चाहिये क्योंकि ये जो ई.आई.ए. इन्होने जमा किया है पूर्ण रूप से झुठे आंकड़े बिना रिसर्च के डाला गया है। अभी मैं समरी पढुंगी ई.आई.ए. नहीं पढुंगी जिसमें झुठ बात लिखा हुआ है। ये जो समरी बनाई गई है, इस समरी में इन्होने महानदी के दूरी को, लात नाला और तालाब और यहा के पूर्व में स्थापित जो क्रशर, लाईम स्टोन के माईनिंग और क्रशिंग के जो काम चलते है उसका कोई भी डेटा इसमें नहीं है। मैं यहा खड़ी हूँ और जी.पी.एस. में निकालती हूँ जॉच कर लीजिये 10 किलोमीटर के रेडियस में यहा कम से कम 23 गांव आते

है, जिसमें 13 ग्रामपंचायते है और उनके आश्रित ग्राम है क्या उनका ग्रामसभा से अनुमति लिया है इस जनसुनवाई कराने का, क्या आपके अनुमति में एक तिहाई हिस्सा महिलाओं की भागीदारी, उनका निर्णय पुरी कार्यकारी सारांश को समझने के बाद दिया गया है क्या। किस बात के लिये आप यहा पर बैठे है जनसुनवाई करवाने। पढ़ा है क्या आप लोगो ने ई.आई.ए. कितनी झुठी और फर्जी है क्यों ना इनके खिलाफ 420 का मामला दर्जकरवाया जाये। आपको बता दूँ कि यह हम जो जिला में खड़े है ये वास्तव में 03 जिले के पास है वर्तमान सारंगढ़ जिला वहा से क्या आप लोगो ने एन.ओ.सी. लिया, ये जो क्षेत्र है डभरा चांपा–जांजगीर जिले के अंतर्गत आता है उनसे लियो उस जिले के लोगो को बुलाया गया क्या, क्या वो अपनी बात रख रहे है क्या, उनको कोई सुचना गई है। क्या रायगढ़ के भी आस–पास के सरिया, बरमकेला क्षेत्र जो प्रभावित क्षेत्र है वहा के लोगो की बात आई है, नहीं आई है तो ये किस बात की जनसुनवाई है। क्यों नहीं आपके उपर सामुहिक रूप से एफ.आई.आर. दर्ज कराया जाये। जिस तरीके से कुल उत्खनन पट्टा क्षेत्र 8.875 हेक्टेयर, कुल उत्पादन क्षमता इनका है 455928.76 टी.पी.ए. इतनी बड़ी परियोजना में ये ब्लास्टिंग करेंगे पत्थर तोड़ने के लिये। पूर्व में क्या यहा वायुप्रदूषण के मापन का कोई क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी कोई अध्ययन किये है, कोई डाटा आप हमारे पास रख पायेंगे। यहा पर ब्लास्टिंग करेंगे, पहले से इतना फ्लाई ऐश है, पूर्व में पुराने खदान को रिफिलिंग करने का पाटने के नाम से जो पुरे जिले भर के फ्लाई ऐश को लाकर इसी क्षेत्र में उड़ेल रहे है। क्या आपने तय किया है कि यहा कितनी आंगनबाड़ी है, कितनी गर्भवती महिलाये है जिनके सेहत पर असर होगा, कितने माशुम बच्चे प्राथमिक शाला में, कितने कॉलेज है, कितने स्वास्थ्य केन्द्र है, वहा का डाटा कहा हैं। आपने क्या वह डाठा इकट्ठा किया, नहीं किया है तो फिर किस बात की जनसुनवाई है जब आपके पास कोई डेटा नहीं है। उन माशुम बच्चो का क्या होगा जब ब्लास्टिंग होंगे तो, गर्भवती महिलाओं का क्या होगा, उन आदिवासी जमीनों का क्या होगा क्यों नहीं आप इस जनसुनवाई को तत्काल निरस्त कर के निर्णय पर पहुंचे। वैसे भी आप 14 सितम्बर 2006 की अधिसूचना के हिसाब से 45 दिवस के बाद यह जनसुनवाई हो रही है तो अपने आप में यह जनसुनवाई अवैध है और आपके जिला प्रशासन के स्तर का कार्य यह रहा ही नहीं है। यहा राज्य के पर्यावरण अधिकारी मंडल 03 लोगों की कमेटी बनायेगा, उस कमेटी को जॉच के उपरांत ही जनसुनवाई जैसे बड़े परियोजना पर बात होगी। तो आपने कोई अध्ययन कराया है अगर अध्ययन नहीं हुआ तो ये अधुरी जानकारी के साथ लोगो का समय, क्षेत्र के युवाओं का समय, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, राजस्व क्या आप यहा बैठे है इसमें आदिवासी विभाग के अधिकारी बैठे है, खाद्य विभाग के के अधिकारी बैठे है यहा के मुद्दो को कौन ठीक करेगा, कौन देखेगा। अब आते है ई.आई.ए. पर इनकी परियोजना में ये बोल रहे है कि खनन परियोजना को केन्द्र मानते हुये यानि की मैं जहा खड़ी हूँ यहा को केन्द्र मानते हुये 10 किलोमीटर की त्रिज्या में अध्ययन क्षेत्र में पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों तथा वायु, जल, भूमि, मौसमी,

जीव–जन्तु, कृषि तथा सामाजिक–आर्थिक आकड़ो का एक अध्ययन किया है। आपको बता दूं यहा के 10 किलोमीटर के रेडियस में गोमर्डा अभ्यारण्य क्षेत्र शुरू हो जाता है। गोमर्डा अभ्यारण्य आपके राज्य पशु के संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा के लिये वहा पर बैसन पाला जाता है वो क्षेत्र पूर्ण रूप से जैव विविधता से परिपूर्ण क्षेत्र है यहा आप इतना बड़ा नाईनिंग करेंगे, ब्लास्टिंग करेंगे उसका परिणाम यहा के जैव विविधता पर यहा के जलीय जंतु, यहा के जीवन में यहा के, यहा के लोगो पर, यहा के स्वास्थ्य पर यहा पर सिलिका पत्थर, डोलोमाईट निकल रहा है तो यहा पर क्या सिलिका पत्थर से संबंधित अध्ययन कराया है जब आपके जिले में सिलिकोसिस जैसी ला–ईलाज बीमारी का पहचान हुआ है। 04 लोगो को रायगढ़ के अंतर्गत 03–03 लाख रूपये का मुआवजा मिला है तो क्या यहा के लोगो के यूरिन, ब्लड, ऑखे सब टेस्ट कराया है क्या तो स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, कितने आंगनबाड़ी इसमें प्रभावित होंगे, कितने गर्भवती महिला प्रभावित होंगे, कहा है जैव विविधता से संबंधित वन विभाग का आंकड़ा। यहा लात नाला से बहते हुये पूर्व में जितने फ्लाई ऐश रायगढ़ के कचड़ा का लाकर इस क्षेत्र में डंप किया गया है उस डंप के आधार में वो लात नाला में बहते हुये महानदी चला गया है, महानदी से होते हुये वो उड़िसा का हिराकुंड डेम चला गया है, हिराकुंड के पानी को डब्ल्यू.एच.ओ. के द्वारा अध्ययन करने के बाद उसमें 33 प्रतिशत कैंशर की उस जल को घोषित किया गया है। उस क्षेत्र के जलीय जीव से जीवन यापन करते है, जो यहा समाज है महानदी की मछली से उनका जीवन चलता है उन परिवार का अध्ययन हुआ है क्या। इतनी सारी खदान अगर आप यहा करेंगे, पूर्व के खदानों में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप कहते है कि हमारे पास स्टॉफ नहीं है, इक्यूपमेंट नहीं है जॉच करने का तो इस नई खदान को अनुमति देना का आप लोगो से सोचा कैसे और ग्रामसभा का आपके पास अनुमति भी नहीं है वा लोग विरोध कर रहे है, धुप में खड़े है, सारे दिन अपना काम छोड़कर, मजदुरी छोड़कर यहा खड़े है। इनके अध्ययन में यह कहा जा रहा है पेज नंबर 03 में ये ओपन कास्ट विधि के द्वारा करेंगे मतलब ये खुले में माईनिंग करेंगे और कहते है कि प्रदूषण नहीं होगा, कैसे नहीं होगा ब्लास्टिंग करने से। इन्होने 27.05.2021 को जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया है इसमें तमाम चिजे फर्जी आंकड़े रखे है। ये बोल रहे है कि निकटतम कस्बा गुड़ेली केवल कस्बा रहा गया है वास्तव में यह सारंगढ़ जाने का और यह एन.एच. का रोड है, इसके अलावा आज जनसुनवाई है तो यहा पानी छिड़क दिया गया है आपको दिखाने के लिये, आप यहा दुसरे दिन आईये 100 मीटर में कौन आ रहा है दिखाई नहीं देगा। यहा का इन्फ्रास्ट्रक्चर जब नहीं बना है, इतनी सारी सड़क दुर्घटना में इस रोड में लोगो की मृत्यु होती है, विकलांग होते है किसी चिज को नहीं करके आप इस जनसुनवाई को करवाना अपने आप में हास्यप्रद है, मजाक बना रखे है जिले की स्थिति को, लोगो के जीवन को, यहा के प्राकृतिक संशाधन को क्या आपके पास छोड़कर चले जाये, क्या है आपके पास पुर्नवास की स्थिति। अध्ययन क्षेत्र को केन्द्र मानते हुये इन्होने सारंगढ़ तहसील क्षेत्र के कुछ ग्राम पड़ते है, कौन सा ग्राम है, उसका नाम, पता क्या है, कुछ

भी हो रहा है तो किस आधार पर यह जनसुनवाई कराया जा रहा है, इस जनसुनवाई को तत्काल निरस्त करके इस ई.आई.ए. में सरकार को गलत रिपोर्ट देने के लिये तत्काल इनके उपर एफ.आई.आर. दर्ज करना चाहिये। ये बोल रहे है तालाब निकटतम 500 मीटर की दूरी पर भिखमपुरा के पास पूर्व में 44.00 किलोमीटर की दूरी पर जलाशय है, खदान के समीप उचित सावधानी बरती जायेगी वो कौन सी सावधानी बरती जायेगी बतायेंगे। ऐसा कौन सा अलादिन का चिराग मिल गया कि आप प्रदूषण को रोक लेंगे। ये बोल रहे है कि इनक काम करने का तरीका कम क्षमता वाले ब्लास्ट के साथ ओपन माईनिंग करेंगे, पत्थर की खोज के लिये कम क्षमता वाली ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग की जायेगी। इन्होने जिस तरीके से ई.आई.ए. बनाया है 02–04 ई.आई.ए. बनाने वाली कंपनी के उपर भी एफ.आई.आर. कराना चाहिये कि ये हमारे क्षेत्र को मजाक बना कर रखे है। इनको समय में नहीं आता कि हमारे यहा विश्व प्रसिद्ध चंदरसेनी पर्यटन स्थल है यहा देश के साथ विदेश के लोग भी यहा भौगोलिक सुंदरता को चंद्रहासिनी को दर्शन करने के लिये आते है। आस्था का विषय यह है कि लोग अपने बच्चे के मुंडन और पूर्वजों के अस्थी विसर्जन चंद्रहासिनी में होता है, आप यहा क्या दिखा रहे है, फ्लाई ऐश दिखा रहे है, गंदे पानी दिखा रहे है, वायु प्रदूषण और आये दिन एक्सिडेंट हो रहे है ये चाहते है आप। यह जनसुनवाई आपके क्षेत्राधिकार से कराने का है ही नहीं। 03–04 जिले का, 02 राज्यों का मामला है आप जी.पी.एस. में क्यों नहीं जांच करवाये है। यहा की जल की गुणवत्ता को कब जॉच किया गया, कितने लोग जॉच किये बताईये यह सवाल है हमारा किस आधार पर जनसुनवाई करवा रहे है इसको तत्काल निरस्त कीजिये ये सीधे–सीधे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश की अवहेलना है, आपके द्वारा कहा जा रहा है ये खनन क्षेत्र का पानी पंप से निकालेंगे। सुप्रिम कोर्ट का आदेश है कि केवल भू–जल का दोहन पेय जल और कृषि के लिये होगा, अन्य उपयोग के लिये भू–जल का उपयोग नहीं किया जायेगा। ये आप अच्छे से पढ़ लिजिये उसके बाद निरस्त कीजिये हम इंतजार कर रहे है, इतने सारे गलत रिपोर्ट ये दर्शाये है, इन कंपनी वालों को साथ–साथ ई.आई.ए. बनाने वाले को कोई अधिकार नहीं है कि यहा के अधिकारियों को गलत रिपोर्ट देने का। आपको बता दूँ पर्यावरण निगरानी के लिये इन्होने 10.39 लाख रूपये प्रतिवर्ष पर्यावरण निगरानी के लिये खर्च करेंगे ये इनका सी. एस.आर. होगा इसमें आप लेंगे.कितना और देंगे कितना, केवल प्रदूषण देंगे। आपकी यह पुरी परियोजना में कही भी 01 भी महिलाओं को रोजगार देंगे, युवाओं को स्थाई रोजगार देंगे कही नही लिखा है यह जनसुनवाई झुठे आंकड़ो से, लोगो को धोखा देकर यह जनसुनवाई आयोजित किया जा रहा है। इसमें यह कहा जा रहा है कि सुरक्षा अधिकारी, पर्यावरण अधिकारी का ये नियुक्ति करेंगे, मतलब आपकी नौकरी खतरे में है क्योंकि अब ये नियुक्ति करेंगे। ये कह रहे है कि खनन पट्टे के साथ कृषि उन्मुखीकरण करेंगे, यहा के कृषि के उपर पूर्व में जो प्रदूषण है उस पर कौन से कृषि विभाग ने रिसर्च किया है, कोई रिसर्च रिपोर्ट है तो बताईये। यह कह रहे है कि अगर हमारी खदान आयेगी तो सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। सड़क

दुर्घटना में अब तक के मौत के आंकड़े है उसे बता रही हूँ पिछले 05 साल के बता रही हूँ, 2017 में सड़ दुर्घटना में 616 मौते हुई, 2018 में 664 सड़क दुर्घटना हुई और 661 मौते हुई, 2019 में 640 एक्सिडेंटल केस हुआ जिसमें 281 की मौत हुई, 2020 में 487 सड़क दुर्घटना हुई 252 लोगो की मौत हुई, 2021 में 452 एक्सिडेंट हुआ और 348 मौत हुई, इस तरह कुल 05 वर्षो में 2859 सड़क दुर्घटना में 1387 लोगो ने अपनी जान गवाई है, उनके मुआवजा, उसके परिवार की स्थिति, उनके बच्चे, उनके भविष्यनिधि का क्या होगा, भविष्यनिधि का मतलब खनन परियोजना से डी.एम.एफ. की राशि निकालकर जमा करना नहीं होगा, बल्कि डी.एम.एफ. का मतलब होता है कि हमारे स्थानिय संशाधनों का एक तिहाई हिस्सा आने वाली पिढ़ी के उन खान और खनिजो के मुद्दो को एकत्रित करके आने वाले पिढ़ी के लिये संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा किया जाता है ना कि आप यहा से राशि लेंगे और चक्रधर समारोह में हेमामालिनी नचवायेंगे। यहा पानी पीने को नहीं है, शौचालय नहीं है इन तमाम बातो रखते हुये इस जनसुनवाई को लिखित और मौखिक में विरोध करते हुये पावती चाहुंगी। जनसुनवाई को तत्काल निरस्त करे।

130. मनोज, बंजारी – विरोध करता हूँ। शासन हमारी मांगे पुरी नहीं करेगी तो हम उग्र आंदोलन करेंगें।

131. राजेश त्रिपाठी, रायगढ़ – आज की जनसुनवाई का जो आयोजन है केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना 14 सितम्बर 2006 के अनुसार ये जनसुनवाई का आयोजन करवाया जा रहा है जिसमें सबसे पहले टी.ओ.आर. मतलब टर्म ऑफ रिफरेंश के बाद कोई भी कंपनी अपनी ई.आई.ए. का निर्माण करेगी और आवेदन करेगी और आवेदन के 45 दिवस के अंदर जनसुनवाई का आयोजन किया जाना चाहिये। अगर राज्य सरकार आवेदन के 45 दिवस के अंदर जनसुनवाई करवाने में सफल नहीं हो पाती या आयोजन नहीं कर पाती उन स्थिति में केन्द्रीय वन, पर्यावरण मंत्रालय एक समिति का गठन करेगा और यह समिति इस जनसुनवाई को करायेगी यह प्रावधान कहता है। और इस आवेदन की प्रक्रिया को देखे तो ये आवेदन के बाद लगभग 45 दिवस नहीं बल्कि 350 दिवस के बाद ये जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। ई. आई.ए. बनाने वाले जो कंसलटेंट है उनसे मेरा अनुरोध है कि आपके अध्ययन का रिपोर्ट बोल रहा है कि 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर अध्ययन किया है उस दौरान पुरे देश में कोरोना का पिट कायम था जिसमें लोग आ–जा नहीं सकते तो आपने उस समय कैसे अध्ययन कर लिया ये मेरे समझ से बाहर है। आपने अध्ययन कैसे कर लिया जब हम रायगढ़ में रहकर हमें घर से निकलने की अनुमति नहीं थी उस दौरान आप 10 किलोमीटर के रेडियस में पाल्युशन मापक यंत्र भी लगवा लिया, आस–पास के साउंड के सिस्टम का अध्ययन करवा लिया, यहां गांव में भी आप लोगो ने बात कर लिया और उस डाटा के आधार पर आप लोगो ने अच्छी–खासी ई.आई.ए. बना ली। आपने अभी कहा कि लोग अपनी बात सार्ट में कहे, मैं यह कहता हूँ कि ये 400 पन्ने की ई.आई.ए. कोई आदमी 15 मिनट के अंदर पढ़कर सुना दे तो मैं सुनने के लिये तैयार हूँ। अगर ये 600 पन्ने के ई.आई.ए. के लिये अगर 15 मिनट का टाईम है तो हम लोगो से

संभव नहीं है कि 15 मिनट जिस तरीके से सरकारी प्रक्रिया में खानापूर्ति इस ई.आई.ए. के अंदर की गई है उस प्रक्रिया की हम खानापुर्ति करें। सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो ई.आई.ए. जब आपने बनाया इस ई. आई.ए. के 10 किलोमीटर के अंदर महानदी में बैराज बनाया गया है इसमें कही भी बैराज का कोई भी आकड़ा नहीं है कि वो 10 किलोमीटर के अंदर कौन–कौन से बैराज है। इस 10 किलोमीटर के अंदर महानदी है, ये जो पूरी खदान होगी, खदान का महानदी पर, नाले पर किस तरीके के पड़ेगा और इंपेक्ट कहा पड़ेगा और हिराकुंड डेम भी है और आप देखते है कि गुड़ेली इलाका में जो इस रिपोर्ट में बताई गई है लगभग 39 स्पंज ऑयरन स्थापित है और इन्होने खुद आंकड़ा जो दिया है उस आकड़े के मुताबिक लगभग 46 हेक्टेयर जमीन में पहले से खनन का काम किया जा रहा है, जो यहा क्रशर है उनके द्वारा पहले से ही खनन की प्रक्रिया की जा रही है और प्रक्रिया ही नहीं की जा रही है। पॉवर प्लांटों में जो फ्लाई ऐश है महानदी के किनारे डाला जा रहा है, इसका आपके ई.आई.ए. के अंदर जिक्र नहीं है कि ये जो फ्लाई ऐश कंपनी का आ रहा है डी.बी. पॉवर का आ रहा है, बालको का आ रहा है, कोरबा वेस्ट का आ रहा है ये पुरा फ्लाई ऐश गुड़ेली गांव के अंदर और टिमरलगा गांव के अंदर डाला जा रहा है और आपको मालुम है कि जो फ्लाई ऐश निकलती है केन्द्रीय वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्या निर्देश है कि कंपनी ऐश डाईक बनायेगी और डाईक के अंदर अपने फ्लाई ऐश को रखेगी और अगर ऐश डाईक भर जायेगा तो उसके उपर 02 मीटर उंचा मिट्टी का लेयर चढ़ाया जायेगा जिससे फ्लाई ऐश उड़कर आम लोगो के जीवन पर प्रभावित ना कर सके और आप बताईये आप तो गुगल मैप लिये है 10 किलोमीटर के रेडियस में मैं भी गुगल मैप 10 किलोमीटर के रेडियस में लिया हूँ। लाखो टन फ्लाई ऐश बल्कि 10 लाख टन फ्लाई ऐश गुड़ेली और टिमरलगा के गावों में डाला गया है। एक बात बताना चाहता हूँ कि इस ई.आई.ए. में कंसलटेंट ने पेज नंबर तो नहीं डाला है लेकिन इसमें 03 ग्रामसभा की रिपोर्टे लगी है, सहमति पत्र उसमें एक सरपंच का नाम लिखा है, एक लाईन खिची गई है और सही करके लिखा गया है वो कब आपको मिली है ग्रामसभा का प्रस्ताव। एक इन्होने 30.07.2020 यानि जुलाई महिने में आपके यहा ग्रामसभा हो गई जो कि सरकार के निर्देश जुलाई 2020 में थे 144 धारा पुरे रायगढ़ जिले में लगी थी तो ये 30.07.2020 को ग्राम–गुड़ेली में ग्रामसथा कैसे हुई और किसने ये ग्रामसभा आयोजित करवाई, जब आप गांव के लोगो को और शहर के लोगो को धर में निकालने पर आप उनके उपर एफ.आई.आर. करवाते थे और अगर ये ग्रामसभा का आयोजन 30.07.2020 को हुआ है तो ग्रामसभा में शामिल होने वाले चाहे वो सरपंच हो, पंच हो, चाहे कंपनी के लोग हो इनके उपर महामारी एक्ट के तहत् एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जानी चाहिये। इन्होने कहा है कि 10.08.2020 को इनको ग्रामसभा से परमिशन मिली है उस समय भी रायगढ़ जिले के अंदर महामारी एक्ट लगा हुआ है। हमारे पास महामारी एक्ट के हमारे जिला अध्यक्ष महोदय के आदेश की कॉपी है तो उस समय में भी ग्रामसभा आयोजित की गई है। यदि ये फर्जी है

ग्रामसभा नही हुई और ये पैसे का खेल है तो सरपंच इसमें बिका है, आप ग्रामसभा देखिये और इसके तहत महामारी एक्ट लगता है कि नहीं लगता है जब आपने ग्रामसभा से पाया है, क्योंकिं आपने हमको खुद ग्रामसभा करने के लिये परमिशन नहीं दिया है और उस दौरान पुरे रायगढ़ में, छत्तीसगढ़ के अंदर महामारी एक्ट लगा हुआ है, तीसरा सर इन्होने एन.ओ.सी. लगाया है ग्रामसभा का 13.11.2020 यानि नवम्बर का महिना था और नवम्बर महिने में भी ग्रामसथा करने की अनुमति नहीं थी उस दौरान भी ग्रामसभा हो गई आपने जुलाई में ग्रामसभा किया फिर अगस्त में किया फिर 11 नवम्बर को किया और आपको परमिशन मिल गई, यहा गांव के लोग है वो लोग आपको बता पायेंगी कि आपके गांव में ग्रामसभा हुई है क्या। यदि यह फर्जी ग्रामसभा हुई है इसका मतलब सरपंच के उपर 166ए, 148ए और 420 के तहत मुकदमा होना चाहिये क्योंकि सरपंच ने, ग्रामपंचायत ने गाव के लोगो के साथ धोखादड़ी किया है और खेलने का काम किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो क्रशर उद्योग लगा रहे है इन मालिको की केवल एक जमीन है और उसमें देखिये जो खसरा नंबर और बी–1 लगा हुआ है वो सौरा जाति के आदिवासी लोग है और तेली समाज के पिछड़े लोग है उनकी जमीन पर सहमति किस तरीके से ली गई और सहमति का आप डेट देखिये, क्या उस समय पर जब हमारा कलेक्ट्रेड खुलता ही नहीं था, जब हमारे कोर्ट के काम होते ही नहीं थे उस समय उनको कैसे एन.ओ.सी. मिल गई किसान से क्या इनके तहसील का जो कोर्ट है कंपनियों के घर में बैठा था क्या और इसमें देखिये पेज वाईस जितने भी दस्तावेज लगाया है 50 रूपये के स्टाम्प में जो नोटरी लगवाया है उसमें डेट देख लिजिये और उस समय महामारी एक्ट लगा था की नहीं देख लिजिये तो कौन सा नोटरी था जिन्होने उस़ समय पर इनकी नोटरी की क्या उनके उपर एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होना चाहिये क्या महामारी एक्ट के तहत कार्यवाही नहीं होनी चाहिये। एक और बात बता दू कि सर ये ई.आई.ए. इसलिये फर्जी है कि आपको ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2014 के संशोधित रिपोर्ट को देखिये कि आपको जो ई.आई.ए. बनाना होगा वो अंग्रेजी में बनाना है, हिन्दी में बनाना है, स्थानिय भाषा में बनाना है, आपकी हिन्दी की ई.आई.ए. कहा है। इसमें आपने जो कागज लगाया है 300 पन्ने का वो आप पढ़ कर सुना दीजिये कहा है वो ई.आई.ए. ये क्या लोगो के साथ धोखा नहीं है सर। यहा के लोग कोई केरला के तो है नहीं कि 99 प्रतिशत एजुकेटेड है तो आपने लोगो के साथ ये धोखादड़ी की है कि लोग स्थानिय भाषा में छत्तीसगढ़ी और हिन्दी बोलते है और ई.आई.ए. आपने 400 पन्ने की हमको पकड़ा दिये अंग्रेजी में और ये बताईये कि अंग्रेजी में मैं क्या बोलु। में को ये नहीं मालुम कि नदी कहा है और पानी कहा से लेंगे। लोगो के हेल्थ इसु कहा है लोगो के कम्नुनिटी के लिये आप क्या करेंगे, यहा के जल संरक्षण के लिये आप क्या करेंगे तो जब ये आप लोगो के लिये एक तरह से कंपनी क्या बोलेगी आपके ई.आई.ए. के आधार पर तो हमने तो ऐसा कोई बात ही नहीं किया है क्योंकि गांव के लोगो को अंग्रेजी नहीं आति। आपको हिन्द्री और क्षेत्रीय भाषा में ई.आई.ए. बनाना था तो क्या आपने इसका उल्लंघन नहीं किया और आपने उल्लंघन किया है तो कंसलटेंट

के उपर पर्यावरण अधिकारी महोदय, पीठासीन अधिकारी महोदय यहा के नजदिकी थाने में इनके उपर धोखादड़ी का एफ.आई.आर. करवाया जाना चाहिये और इनको जेल के अंदर डाला जाना चाहिये। ये पैसे के लालच में हमारे रायगढ़ जिले के अंदर स्वास्थ्य के साथ, लोगो के साथ धोखादड़ी का काम किया है। सर पिछले जैसे वक्ता ने बात की मैं समरी लेकर बोल रहा हूँ कि जनसुनवाई एक हो रही है, ई.आई.ए. एक बन रही है और मालिक 03 है, 03 मालिक में अगर कोई आदमी पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करता है तो कार्यवाही किसके ऊपर होगी। अभी तक 2004–05 से जितनी भी जनसुनवाई में अपनी बात रख रहा हूँ अभी तक एक कंपनी होती थी, एक मालिक होता था, एक की जनसुनवाई होती थी और जब भी ई.सी. इन्वायरमेंट क्लियरेंस का वायलेशन करता था तो उसके ऊपर प्रशासन और शासन को नियम के उल्लंघन में कार्यवाही करने का आदेश था, कानुन था और ये बोलते है 03 लोग है, अगर कल ये कंपनी वृक्षारोपण नहीं करती, मेरे पिताजी भी माईनिंग डिपार्टमेंट में रहे इसलिये मैं भी माईनिंग के नियमों और कानुनों का थोड़ा ज्ञान हमको भी है तो हर कंपनी ने वादा किया कि हम ग्रीन बेल्ट बनायेंगे, पानी का छिड़काव करेंगे, पाल्युशन, डस्ट नहीं उड़ेगा, इन्होने कहा कि हम छोटी–छोटी ब्लास्टिंग करेंगे, इनके समरी रिपोर्ट में लिखा है कि हमारे खदान की गहराई लगभग 30 मीटर होगी। जमीन में ये 30 मीटर गहरा खदान खोदेंगे और ये कह रहे है कि इसमें हम छोटे–छोटे, धीमे–धीमे ब्लास्ट करेंगे ताकि लोगो पर इसका नुकशान ना हो, और इससे जो डस्ट उड़ेगा, अभी तक स्वास्थ्य विभाग जॉच नहीं किया है, जहा लाईम स्टोन पत्थर होता है, यहा भी सिलिकोसिस बीमारी की ज्यादा से ज्यादा शिकायते है और कंपनी कुछ लेबर को लायेगी 01 महिने काम करवायेगी और 02 महिने, 04 महिने में जब उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो ये कंपनिया उन मजदुरों को वहा से भगा देती है, उनका कोई इशोरेन्स नहीं होता ये लेबर कानुन का लेबर एक्ट का मामला है और उनके किसी भी प्रकार के हेल्थ परीक्षण नहीं किये जाते ना तो उनको किसी भी प्रकार का हेल्थ मुहैया कराया जाता है। जब 30 मीटर खदान होगी तो बगल में महानदी भी है निश्चित तौर पर खदान के अंदर पानी तो निकलेगा क्योंकि यहा लगभग 30 मीटर अंदर कुये में पानी निकल आता है तो 30 मीटर यानी लगभग 100 फीट गहरी होगी खदान तो उसमें जो गंदा पानी निकलेगा तो वो पानी को निकालकर आप कहा छोड़ेंगे वो कहा लिखा है मेरे को बता दो। इसका मतलब यह है कि सीधे–सीधे लात नाला में पानी छोड़ेंगे, फीर वह पानी आप महानदी में डालोगे तो महानदी का दोनो तरफ जो छत्तीसगढ़ जिसमें 25–30 गाव आते है वो प्रभावित होंगे और गंदा पानी महानदी में जायेगा इसका मतलब जल जीव जैसे यहा के लोग मछली मारते है आप आये तो देखे होंगे की नाव लगी हुई है लोग मछली मार रहे है तो ये गंदा पानी जब महानदी के अंदर जायेगा तो इसका दूषप्रभाव जल जीवन पर क्या पड़ेगा ये कहीं नहीं लिखा है ई.आई.ए. के अंदर। उस क्या प्रभाव पड़ेगा उसको बचाने के लिये ना तो ई.आई.ए. में कही लिखा है और ना की कोई सुझाव दिये है। आप बोल रहे है कि यहा हमने डस्ट का पैमाना किया है जो आप

जानकारी दे रहे है उसकी जानकारी मेरे कम्प्यूटर में भरी हुई है। इन्होने अपने ई.आई.ए. के अंदर जो एयर पाल्युशन की जानकारी दी है वो जितनी होती है उसका वन फोर्थ हिस्सा इन्होने अपनी ई.आई.ए. के अंदर डाला है। अगर आपको अभी अध्ययन करना है तो चले मेरे पास है सिस्टम, एयर पाल्युशन का भी कर लेते है, वाटर पाल्युशन का भी कर लेते है, ध्वनी प्रदूषण का भी कर लेते है और आज जनसुनवाई है इसलिये यहा से टिमरलगा तक पानी का छिड़काव भी हुआ है। ऐसा लगता है कि कोई स्वागत हो रहा है बाकि 1988 से हम लगातार इस रास्ते से निकल रहे है। यहा जो धुल के गुब्बारे होते है वो मोटरसाईकल वाले को साईकल वाला नहीं दिखता है और कार वाले को मोटरसाईकल नहीं दिखता है जिससे लोग हाथ–पैर तोड़ कर बैठे रहते है और ये मुख्य दुर्घटना का रिजन है। आपने नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे की बात की और नेशनल हाईवे के मुताबिक प्लान क्या है आप बता दीजिये नही तो मैं बता दुंगा मैं पढ़कर आया हूँ। स्टेट और नेशनल हाईवे के 01 किलोमीटर के अंदर कोई बिस्फोटक या विधिया संचालित नहीं होगी आप देख लीजिये कम्प्यूटर में खोलकर। तो आप उस नेशनल हाईवे जाती है रायपुर से जुड़ा हुआ अंबिकापुर, यहा से झारसुगुड़ा के लिये जाती है आप जब इसके किनारे क्रशर, लाईम स्टोन पत्थर की खदान खोलेंगे तो निश्चित तौर पर ब्लास्ट तो करने के लिये बोले है उसका इंपेक्ट उन सड़को पर क्या पड़ेगा उस विषय पर आप साईलेंट है और आप यह भी बोल रहे कि सड़क में उतनी क्षमता है कि यह लगभग इतना वजन जो है सम्हाल लेगी। आप मेरे को ये पहले बता दो कि यहा से सारंगढ़ तक और सारंगढ़ से यहा तक सड़क कहा है जिसमें आप वाहन चलायेंगे। आप ये पत्थर निकालेंगे, यहा से ले जाकर क्रशिंग करेंगे इसके बाद आप इसको बेचने के लिये कही–कही भेजेंगे क्योंकि ये चुना पत्थर है तो इसमें जो वाहन लगेंगे, अगर एक डम्फर का क्षमता 25 टन है तो आप इनको 110829 टी.पी.ए. का कर लिजिये की कितने ट्रक इसमें चलेंगे, दूसरा कर लिजिये 455928 इसमें पत्थर को तोड़ने के लिये, ढुलाई के लिये और बेचने के लिये कितने वाहन चलेंगे और 107561.25 टी.पी.ए. ये पत्थर तीनो भू–स्वामियां निकालेंगे अलग–अलग इसको क्रशिंग करेंगे, इसको बेचने के लिये जहा भी भेजेंगे वह पुरा सड़क के माध्यम से जायेगा तो उसको उठाने और ढोने में कितना वाहन लगेंगे इसका जिक्र इसमें नहीं है। आप निकालिये 110829 जो टी.पी.ए. पत्थर आप निकालेंगे उसके लिये कितने ट्रक लगेंगे, कितने डंफर लगेंगे वो माल तैयार हो जायेगा तो बेचेंगे आप उसको ट्रांसपोर्टिंग के लिये कितने लगेंगे और वो किन सड़को पर जायेंगे, सड़क तो है ही नहीं विगत 15 साल से सराईपाली से रायगढ़ तक सड़क बनीं ही नहीं है तो आप किस सड़क से इसको लेकर जाओगे और आपने कहा की जो इनके द्वारा ट्रांसपोर्टिंग की जायेगी उसको ये ढक कर कवर्ड कर ट्रांसपोर्टिंग करेंगे। चलिये चलते है यहा कम से कम 500 ट्रक खड़े हुये है उसमें 100 से ज्यादा ट्रकों में लाईम स्टोन पत्थर लगा हुआ है और एक भी गाड़ी कवर्ड नहीं है तो जिनकी आप लौग ई.आई.ए. बनाये है बहुत बड़े संत होंगे या विवेकानंद के मार्गदर्शक वाले होंगे जो इस तरीके की गतिविधिया नहीं करेंगे। ये चोरी नहीं

करेंगे, गांव के लोगो के साथ न्याय करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली जैसे विकास के काम करेंगे वो गुड़ेली और टिमरलगा के लोग भी जानते है कि जिनके क्रशर मशीन है अगर उस गांव के लोगो को एक ट्राली गिट्टी की जरूरत पड़ जाये तो जितनी कीमत में मुझे रायगढ़ में मिलती है उतनी ही कीमत में गुड़ेली के लोगो को मिलती है तो इनको बताईये कि गुड़ेली और टिमरलगा में इस खदान के खुलने से फायदा क्या है। इन्होने समरी में क्षेत्रीय भू विज्ञान लिखा है, जब मैं यहा 30 साल से लोगो के बीच में हूँ तो मैं भू वैज्ञानिक नहीं बन पाया तो आपके यहा भूगर्भ शास्त्री है क्या और आप जब इस क्षेत्र का अध्ययन कर रहे थे तो आपके टीम में कौन–कौन भूगर्भ शास्त्री आये थे। आप कानुन का उल्लंघन कर रहे है और आपने अंग्रेजी की ई.आई.ए. दी है और एस.आई.ए. कहा है फिर आप ई.आई.ए. बनायेंगे। आपने कहा एस. आई.ए. बनाया है बताईये पुरे ई.आई.ए. के अंदर। सोशल इंपेक्ट असिसमेंट जो यहा के रहने वाले लोग है और उनके बीच में रहने वाले जीव, जन्तु है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर आपकी ई.आई.ए. मौन है उस मुद्दे पर आपने एक भी शब्द नहीं लिखा है आपने कही पुरी ई.आई.ए. के अंदर नहीं लिखा है कि यहा डस्ट से, धुल से लोगो के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा उस पर ये क्या स्वास्थ्य कैंप लगायेंगे, क्या लोगो का स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी होगी तो कंपनी जिम्मेदारी लेगा, नागपुर, बाम्बे, दिल्ली भेजने के लिये कैंसर जैसी बीमारी होगी तो कंपनी उस पर क्या काम करेगा। इन्होने यह कह दिया है कि इस ई.आई.ए. के लास्ट पन्ने में कि इस क्षेत्र की विकास के लिये कंपनी तीनों लोग मिलकर 10 लाख 39 हजार रूपये 10 किलोमीटर की रेडियस में ये खर्च करेंगे। 10 लाख 39 हजार आप जो गांव 10 किलोमीटर की रेडियस में है तो आप ये उनके विकास के लिये खर्च करेंगे, 10 हजार में तो यहा के लोग कबड्डी भी नहीं खेल पाते, कबड्डी करवाने का खर्च 50 हजार में भी नहीं होता तो क्या आप गिल्ली डन्डा देंगे आप गांव के विकास में, क्या गांव के लोगो के लिये गिल्ली डन्डा का कांपिटिशन होगा कि ये जो कंपनी है एक गांव के हिस्से में 25–30 हजार रूपये आ रहा है यानि ये एक गांव में हैण्डपंप भी नहीं लगवा सकते इतने पैसे में आज की कास्ट में तो फिर ये विकास क्या करेंगे। या फिर इसमें लिख देते की ये कंपनी 05–05 साल तक दुर्गा और गणेश पूजा में 05–05 हजार हर गांव के लोगो को चंदा दे देते लिख देते इसमें। ये तीनों कंपनी मिलकर 05–05 हजार 05 साला, 10 साल, जब तक खनन करेंगे गणेश का और दुर्गा का चंदा लेते रहेंगे, इसमें दवाई के लिये कोई प्रावधान नहीं है कि इसमें आप क्या करेंगे और बुनियादी सवाल यह है कि आप इनता सब करने का दावा कर रह है और कंपनी क्या लिख रही है कि जिला स्तर पर आपकी ई.आई.ए. में लिखा है ये एक समिति बनायेंगे और वो समिति में पर्यावरण सेल रहेगा, उसमें पर्यावरण अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी और प्रबंध योजना अधिकारी ये आप लोगो के नौकर है क्या, आपकी कंपनी का हमारा पर्यावरण अधिकारी, हमारे जिले का सुरक्षा अधिकारी यानि एस.पी. और आपने लिखा है पर्यावरण प्रबंधन सेल ये तो सरकारी नौकर है, सरकारी कर्मचारी है तो ये आपके कंपनी की

नोकरी करेंगे आप लोग कहेंगे कि हम सेल बना रहे है आईये इसमें काम करिये, ये 04 अधिकारी है जो पर्यावरण प्रबंधन की दिशा में हमारे पर्यावरण अधिकारी को रख लिजियेगा, जल विभाग के एस.डी.ओ. और ई.ई. को रख लिजियेगा, वन विभाग के डी.एफ.ओ. को रख लिजियेगा, रायगढ़ जिले के एस.पी. को रख लिजियेगा ये जनता के सेवक है या इस कंपनी के सेवक है इस ई.आई.ए. में आप पेज नंबर 12 देखीये पैराग्राफ 1.14 का सेकेण्ड आप जो लिखे है उसमें देखीये आपने क्या लिखा है कौन लोग होंगे इसमें ये स्पष्ट कर दीजिये एस.पी. होगा, कलेक्टर होगा, पर्यावरण अधिकारी होगा, जल संसाधन विभाग होगा, खनिज विभाग होगा, डी.एफ.ओ. होगा कौन लोग प्रबंधन समिति के अंदर समिति में होंगे क्या आपने उनको नियुक्ति पत्र दिया है की पर्यावरण स्वीकृति के बाद हम नियुक्ति पत्र देते है। पेज नंबर 12 का पैराग्राफ 1. 14 में लिखा है इसमें देखीये, केन्द्रीय पर्यावारण सेल बनायेंगे जिसमें पर्यावरण अधिकारी रहेगा, सुरक्षा अधिकारी रहेगा, जिला प्रबंधन अधिकारी रहेगा जो कलेक्टर होता है, जिला सुरक्षा अधिाकरी होगा जो डी. एस.पी. होता है ये इनके नौकर है क्या। और उसी में 1.15 में जो परियोजना से लाभ बताया है परियोजना का लाभ आपने बताया है पेज् नंबर 12 में खनन पट्टा क्षेत्र के आस–पास की भूमि कृषि उन्मुखी आप बनाओगे, टिमरलगा और इस गांव में जमीन आप लोगो ने छोड़ी कितनी है कि कृषि को उन्मुखी बनाओगे और यहा लोगो के बाड़ी में भी सब्जी पैदा नहीं होती है प्रदूषण और डस्ट की वजह से ये कृषि योग्य उन्मुखी कैसे बन जायेंगे। आपने कहा है कि उक्त परियोजना के आस–पास के गावों के लोगो को रोजगार मिलेगा, कितने लोगो को मिलेगा, क्या कंपनी के मालिक बना दोगे, प्रबंधन बना दोगे, और इस गांव के जितने लोग कंपनी में काम करते है वो लोग बता दे कि गुड़ेली और टिमरलगा के लोग कितनी कंपनियों के प्रबंधक है, कितने कंपनियों के निर्देशक है, कितने कंपनियों के खनन विशेषज्ञ है। आप ये बोलो कि गुड़ेली में और टिमरलगा के जो लोग है वो अपनी क्रशर मशीन के अंदर या इस खदान के अंदर मजदुर रखेंगे और मजदुर सब को बनायेंगे बता दीजिये क्यों धोखादड़ी करते हो। 40 साल से यहा के लोग मजदुर ही है तो आप भी बना लेना जो आपको 100–200 मजदुर लगेगा। तो एक तरीके से आपने जो अध्ययन किया है, ये पुरी की पुरी जो ई.आई.ए. है कम्प्यूटर के अंदर बैठ कर केवल इन्होने कम्प्यूटर का खेल किया है और इस ई.आई.में. 35–40 पन्ने अपने लिखे है इस ई.आई.ए. को मोटा बनाने के लिये इन्होने जिन किसानों की जमीन ली है उनकी कागज लगा दिये है, फर्जी ग्रामसभा का प्रस्ताव लगा दिये है और इस आधार पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज की जनसुनवाई में जो भी आपने ई.आई.ए. की जनसुनवाई करवाया है इसको किसी भी किमत में पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं मिलनी चाहिये और इसको पर्यावरण स्वीकृति मैं लेने भी नहीं दूंगा, ये इस मंच के अंदर बोल कर जा रहा हूँ। इनको जितना पैसा खर्चा करना हो कर ले इस कंपनी को किसी भी किमत में टिमरलगा के अंदर पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं मिलने दूंगा भले ही सुप्रिम कोर्ट तक जाना पड़े और आपकी ई.आई.ए. को उसी सुप्रिम कोर्ट तक घसीट कर आपके ऊपर

भी एफ.आई.आर. करवाने का आपका जो रजिस्ट्रसन नंबर है कंसलटेंट का उसको भी 420 के तहत् निरस्त करवाने का काम करूंगा।

132. किरण पटेल, गुडेली – मैं अपने ग्रामपंचायत गुडेली और आस–पास के पंचायत के भविष्य को देखते हुये लीज को मना कर रही हूँ विरोध कर रही हूँ। क्योंकि अभी जो खदान है हम लोगो को, सभी सदस्यों को और ग्रामपंचायत–गुड़ेली के लोगो को लगता है कि कब ये खदान बंद होगा, अगर इन्हे स्वीकृति मिलेगी तो हम लोगो के बच्चो का भविष्य और स्वास्थ्य को लेकर है उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तो इसका मैं विरोध कर रही हूँ।

133. मलती पटेल, गुडेली – गौण खनिज को बंद किया जाये।

134. त्रिलोचना श्रीवास, गुडेली – गुडेली में जो खदान चल रहा है उसे बंद करने के लिये मैं विरोध कर रही हूँ। बड़े–बड़े पत्थर निकाल रहे है बारूद लगा रहे है, आदमी लोग बीमार पड़ रहे है। सब को बंद किया जाये, छोटे रूप में निकाला जाये। आदमी लोगो को जीने दो, खाने दो, कमाने दो। बड़े खदान निकालेंगे तो उसमें 150 लोग कमायेंगे, उसके अलावा तो नहीं कमा सकेंगे तो बाकी आदमी लोग कहा जायेंगे। पानी के लिये भी तकलीफ पा रहे है तो सहमति कैसे दे रहे है। ये सब को बंद किया जाये और छोटे रूप में खदान चालु किया जाये, इस बात के लिये मैं विरोध कर रही हूँ। आदमी लोग बहुत बीमार पड़ रहे है और पानी के लिये तरस रहे है ये सब का जानकारी होना चाहिये, इतने सारे खदान है, धुल उड़ रहे है जिससे लोग बीमार पड़ रहे है

135. मोहनलाल यादव, गुडेली – विरोध है।

136. त्रिलोचनदास महंत, गुडेली – विरोध है।

137. राधा माझी, अदरा – हम गांव के लोग काम करने नहीं सक रहे है, हम लोगो को कुछ नहीं मिल रहा हैं मेरा पती नही है, मेरा घर भी नहीं है, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है इसलिये मैं आई हूँ आप लोगो के पास, हम लोगो को काम में नहीं रखते है। मैं विरोध नहीं कर रही हूँ। हम लोगो को घर दे, मुझे काम मिलना चाहिये। आदमी दिल्ली, काशमिर जा रहे है हम क्यो जाये, दुसरे गांव के लोग यहां आ रहे है तो हम क्यो जाये।

138. ढुलु बाई – मेरा पति नहीं है पेंशन मिलना चाहिये, गुड़ेली ग्राम में बड़े खदान नहीं चाहिए, छोटा खदान चाहिये। हमारे छोटे–छोटे बच्चे है, बीमार पड़ जा रहे है, पानी से गंदगी निकल रहा है।

139. पद्मनाथ प्रधान, रायगढ़ – अभी जो जनसुनवाईयां हो रही है ये जनसुनवाईयां नहीं होना चाहिए क्योंकि इस जनसुनवाई में आदमी बहुत तकलीप में पड़ रहे है उनका समय व्यर्थ जा रहा है और बोला जाये तो दुर्घटना के बाद अभी चल रहा था और अभी भी चल रहा है, दुर्घटना सड़को में हाता रहता है ये बड़े–बड़े डम्फर के चलते बड़ा–बड़ा गाड़ी चल रहा है, ट्रेलर चल रहा है, ट्रक चल रहा है, इसके चलते और

छोटा–छोटा रोड है हर जगह, कही भी फोरलाईन रोड नहीं है और रोड खराब होने के चलते ये रहा है, ना आज कोई जनप्रतिनिधि भी ध्यान नहीं दे रहा है और ना ही सरकार ध्यान दे रहा है, सिर्फ कंपनी बैठाने के लिये ध्यान दे रहे है। कंपनी बैठ जायेगा, कंपनी काम कर लेगा, पैसा निकाल लेगा, वो कमा लेगा उसके बाद, उसके बाद निकल जायेगा, कभी दूसरे के हित के लिये नही सोचेगा। आज कौन कंपनी किसके हित के लिये सोचा है। ये लोग बहुत बड़ा–बड़ा, लम्बा–लम्बा भाषण देते है, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अभी कही नहीं दिख रहा है। जैसे कल एक भाई बोल रहा था कि एन.आर. कंपनी वाला गुरूकुल को सहयोग दिया है, उससे क्या हाता है, बड़े–बड़े इंण्डस्ट्री को सहयोग देने के क्या होगा, गांव में सहयोग दे, स्कूल में सहयोग दे। गांव में स्वास्थ्य विभाग है और उन्हे भी प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है, ना सरकारी स्कूल को भी प्राथमिकता दिया जा रहा है, जहा पर सरकारी स्कूल है वहा 20–25 बच्चे से अधिक पढ़ाई नहीं कर रहे है उसको हमारा सरकार ध्यान दे रहा है क्या? कि प्राईवेट स्कूल में बच्चे ना पढ़े, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़े उनका पैसा बच चाये। हमारे गांव में कंपनिया आज इतना सौहलियत कर रहा है तो बड़े–बड़े प्राईवेट स्कूल को बंद करके सरकारी स्कूल को प्राथमिकता दिया जाये ताकि किसी का पैसा फालतु खर्च ना हो। सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है। अभी मैं कवर्धा जिला में गया था जो हमारे मध्यप्रदेश से आखरी स्टेज है वहा के सरकारी स्कूल में 02 टीचर है जिसमें एच टीचर को कही भेज देगा और दूसरा टीचर को मतदाता सूची बनाने के लिये भेज देगा तो टीचर नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे कहा, मतदाता सूची, जगदल्ला के लिये वो बच्चो को दे जो बेरोजगार है उनको कम से कम 200 रूपये देते तो बेरोजगारी से भी बच जायेंगे और सरकार का सौहलियत भी कर सकते है। आज ऐसा जागरूकता कंपनी कर रही है क्या, क्या इसमें आप लोगो का सौहलियत है, किसी को सौहलियत कर रहे है ये। सरकारी स्कूल को प्राथमिकता दीजिये, प्राईवेट स्कूल बंद करवाइये। कंपनियां बंद करवाईये फालतु का कंपनी नहीं चाहिये हम लोगो को, किसी का नुकशान होगा वो हमको नहीं चाहिये। हम लोगो को अच्छा जीना, अच्छा खाना–पीना है। ये कंपनियां उन लोगो को है जा किसी पार्टी में जुड़े रहते है, ये लोग पार्टी में जुड़कर कोई बड़े–बड़े बात कर रहे है और कुछ नहीं होता है तो हड़ताल में बैठ जाते है, नाराबाजी करते है और कहा पर क्या हो रहा है कुछ नहीं देख रहें है। मेरे गांव में एक बच्चा पिड़ित है उसके जिये हम लोग जितना भी सामाजिक संगठन है, कंपनियां है सब के पास जा चुके है उसको एक बीमारी हुआ है 16 माह का बच्चा है 16 करोड़ को इंजेक्शन लग रहा है उसको हर व्यक्ति को, हर घर जाकर हम लोग सौहलियत मांग रहे है, जनप्रतिनिधि बोल रहे है कि सरकार को सहयोग मांगो, सरकार बोल रहा है कि लोगो से सहयोग मांगो तो हम किससे सहयोग मांगेगे। आप लोग हम लोगो को सहयोग करेंगे कि कंपनियां सहयोग करेगा, कोई भी कंपनी सहयोग कर देता है तो दिखा दे हमे। 01 साल से घुल रहे है हम उस बच्चे के लिये। ना कोई संगठन सहयोग कर रहा है, ना कोई सहयोग कर रहा है। हम अभी जैसे हमारे राजेश सर थे उनसे हम

लोग विनती किये तो वो जैसे–तैसे हम लोगो के साथ घुम कर पैसे मांगने के लिये सौहलियत कर रह है। इस तरीके का यदि बी.जे.पी. वाले भी करते गोमती साय ने लिख दिया कि अपने पत्र में लिख दिया कि उस पत्र में किया है कि नही हमे पता नहीं। तो हमारा कहना यह है कि ये कंपनियों और सब के लिये जनसुनवाई बंद करवाये। तत्काल बंद करवाये इसको निरस्त करवाये, ऐसे कंपनियों के लिये जनसुनवाई ना करवाये, जनसुनवाई उसके लिये करवाये कि गांव–गांव में आम आदमी का क्या परिस्थिति हो रहा है, क्या–क्या समस्या है उसके लिये जनसुनवाई करवाये। हम लोगो के समस्या के मुद्दे में जनसुनवाई करवाया जाये, क्या करवायेंगे हम लोगो के समस्या के लिये जनसुनवाई, कब होगा बताईये। हम लोगो का समस्या का कब समाधन होगा। अच्छा स्कूल मिले, सरकारी स्कूल मिले, अच्छा टीचर मिले, अच्छा हास्पिटल मिले, अच्छा आंगनबाड़ी मिले, अच्छा पार्क मिले, अच्छा मंदिर मिले, हर चिज का व्यवस्था चाहिये, पर्यावरण अच्छा मिले इसका जनसुनवाई कब करवायेंगे। कंपनियों का, उद्योग का जनसुनवाई करना, चमचा करना बंद करवाईये। एक बार हम लोगो के लिये जनसुनवाई करवा दीजिये। ये जो कंपनियों को 02–04 दिन में फटाक–फटाक जनसुनवाई होते जा रहा है, गांव में जागरूकता वाला जनसुनवाई करवाइये। हम लोगो को सुविधा मिलना चाहिये, हम लोग बहुत पिड़ित है। अभी एक लेडिस यहा रो रही थी कि मेरा पति नहीं है कंपनियां खोल रहे है तो उसका पति दे दीजिये और उसको गांव में भी कुछ नहीं मिल रहा है। पौधे में पानी के लिये कम से कम दे देते तो उसके कम से कम 200 रूपये का रोजगार मिल जाता। काम चाहिये यहा पर। कितने लोगो को काम देंगे ये लोग, कितने समर्थन वालो को काम मिला है यहा बता दे, किसके मकान में बिल्डिंग बना है बता दे। आप लोग समर्थन दे दीजिये लेकिन हम लोगो के मॉ–बाप सब रो रहे है उनका सुविधा कौन देगा। आप लोग समर्थन कीजिये मेरे को दिक्कत नहीं है। हम लोगो का सुविधा कब होगा। एक दिन हम लोगो का भी जनसुनवाई करवायेंगे आप लोग यह मैं उम्मिद रखता हूँ।

140. भागवत साहू, गुडेली – इतने दिन से इनलिंगल काम चल रहा था तब कोई कुछ नहीं बोले और जब सरकार के द्वारा परमिशन मिलं रहा है तो मै समर्थन करता हूँ। लोग पत्रकार के आड़ में आकर, गुड़ागर्दी के आड़ में आकर बिना रायल्टी के गाड़ी सप्लाई करते है और जब उसको रायल्टी मिलेगा तो सरकार द्वारा लीज मिलेगा तो पैसा सीधे सरकार के पास जायेगा, फण्ड में जायेगा जिससे गांव का विकास होगा। मैं तीनों लीज का समर्थन करता हूँ।

141. धनश्याम साहू – समर्थन है।

142. महेश साहु – समर्थन हैं।

143. अजेस साहु – समर्थन है।

144. अरूण सिदार – समर्थन है।

145. अनिल सिदार, गुड़ेली – समर्थन हैं

146. सुखनंदन चौहान, गुड़ेली – समर्थन हैं

147. बसंत कुमार पटेल, गुडेली – विरोध है। जनसुनवाई बंद होना चाहिये किसान का जनसुनवाई होना चाहिए।

148. भगवती, गुडेली – विरोध है।

149. ममता यादव, गुडेली – विरोध है।

150. बबली, गुडेली – विरोध है।

151. ओमकुमारी महंत – विरोध है।

152. जया सिदार – मैं छोटे–छोट भाई–बहन के भविष्य को देखकर बोलती हूँ कि इस खदान को बंद किया जाये।

153. लीला सिदार, गुडेली – समर्थन है।

154. शांति यादव, गुडेली – समर्थन है।

155. सोनकुवंर, सोनाडुला – समर्थन है।

156. महतो, सोनाडुला – समर्थन है।

157. – ये खदान को बंद किया जाये हम लो इटा बनाने के लिये जाते है बिना मतलब के, खदान को बंद किया जाये खेती किसानी काम किया जाये।

158. राजेश गुप्ता, सराईपाली – मैं इस कंपनी का एवं इस खदान का विरोध करता हूँ क्योंकि यहा जो खदान हो रही है कही ना कही इससे जो पाल्युशन होगा, डस्ट उड़ेगा जिससे सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारी होने की संभावना है। मैं पिछले 09 साल से सिलिकोसिस पिड़ित लोगो के लिये काम करते आया हूँ और मैं जानता हूँ कि सिलिकोसिस पिड़ित जो लोग है और उस प्रकार के जो पिड़ित लोग है, कुपोषण के कारण जो बीमारी होती है उससे किस प्रकार से मरते है इसको मैं पिछले 09 वर्षो से देखते आ रहा हूँ। जिला प्रशासन, राज्य सरकार सभी जगह मैने इस विषय पर बात किया है और सिलिकोसिस के लिये लगातार प्रयास करने से सरकार 03–03 लाख मुआवजा भी दे चुकी है। मैं 2016 में भैया लाल बंजारे श्रम मंत्री थे उस समय मैं मुलाकात किया था, उन्होने कहा कि आप इस क्षेत्र में जो खदाने है जहा डोलोमाईट की खदान हो चाहे चुने की खदान हो, जका क्वार्टज की माईनिंग हो उस क्षेत्र में सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है आप उसका सर्वे करिये और इसके लिये जिला प्रशासन द्वारा एक कमेटी भी बनाई गई थी जिसके द्वारा आज तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही या जानकारी जिला प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है। मै पर्यावरण अधिकारी वर्मा जी से कहना चाहता हूँ कि मैं आपको लगातार वाट्सअप के माध्यम से हमारे क्षेत्र की जो पाल्युशन की स्थिति है मैं उसको वाट्सअप के माध्यम से भेज रहा हूँ लेकिन कई बार आपके वाट्सअप पर जाने के बावजुद भी आप नहीं देख रहे है और उस कंपनी पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर रहे है आप बताईयें की ऐसा क्यों। वाट्सअप के माध्यम से और पिछले एक जनसुनवाई

में कंपनी के विरोध में पाल्युशन जो फैला रहा है उसका विडियों मै भेजा था उस पर किस प्रकार की कार्यवाही हुई आप मुझे बताईये। जनसुनवाई का मामला इसलिये है क्योंकि यह भी पाल्युशन से संबंधित है और पर्यावरण से संबंधित मैं अपनी बाते पुछ सकता हूँ लगातार आपके आदेश और जॉच के बावजुद भी जो कंपनियां डस्ट फैला रही है उस पर आप तत्काल कार्यवाही कर उसे बंद करवाईये। साथ ही इस क्षेत्र की अगर बात करे तो मेरी उम्र अभी 32 वर्ष हो रही है और मैं अपने 30 वर्षो से इस क्षेत्र में आता–जाता रहा हूँ आज तक इस क्षेत्र में कई प्रकार की बीमारिया देखने को मिली है। मैं इस क्षेत्र में 2014 से काम कर रहा हूँ तो इस क्षेत्र में बीमारियों की जो स्थिति है वह दयनिय है हालांकि यहा के लोग अभी समझ नहीं पाये है लेकिन भविष्य में इसी प्रकार का पाल्युशन फैलाया जाता रहा तो तो सिलिकोसिस से संबंधित जो ग्रुप है वो भी इसमें आ सकते है।

159. लुकेश्वरी सिदार, गुडेली – विरोध है।

160. किर्तन पटेल, गुडेली – मैं लीज खदान के अनुमति के लिये विरोध करता हूँ। क्योंकि यहा का पानी गंदा ग्राम–गुड़ेली वाले पियेंगे, बीमार पड़ेंगे, यहा डस्ट इतना ओवर लोड आता है, रोड में गिरता है, आदमी एक्सिडेंट हो कर मर रहे है। हंम लोगो का चंदरपुर आने–जाने में बहुत परेशानी उठाना पड़ता है, इसलिये यहा कोई खदान का लीज दिया नहीं जाये, इसके लिये मैं विरोध करता हूँ।

161. पंकज अग्रवाल, भूमि स्वामी गुडेली – मैं इस जनसुनवाई का निम्न बिन्दुओं पर समर्थन करता हूँ। ये जो जनसुनवाई हो रही है इसके पूर्व सारंगढ़ में 48 छोटे–बड़े खदान है जिसका अस्तित्व 70 प्रतिशत खदानों का खतम होने पर आ गया है वर्तमान में जिस प्रकार से केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की योजना है गांव में प्रधानमंत्री के तहत निर्माण हो रहे है और अन्य योजनाओं के तहत् काम हो रहे है, पचरी निर्माण हो रहे है, सी.सी. रोड बन रहे है अगर जनसुनवाई में विरोध होगा, खदाने नहीं खुलेंगी तो गिट्टी का उत्पादन कहा से होगा। आज गुड़ेली के अंतर्गत 100–100 किलोमीटर दूर गि्टी का आवागमन होता है जिससे शहरों का निर्माण होता है, गांव में परेशानी जरूर है लेकिन उस परेशानी के लिये खदान मालिक गांव वालों के लिये फंड, वरिष्ठ जनों के साथ बैठक करके परेशानी का हल भी करना चाहिये, पंच, सरपंच और गांव के मुखीया भी गांव के मेन लोग होते है खदान में ये लोग सबेरे आते है और शाम को जाते है और दिन भर गांव के लोग ही यहा रहते है उनकी समस्या को बिन्दुवार समझते हुये उनका क्या निराकरण कर सकते है खदान मालिकों को करना चाहिये। जो ये फ्लाई ऐश का डिस्पोजल हो रहा है पॉवर प्लांट वाले धकाधक फ्लाई ऐश डाल रहे है इसके लिये नियम कानुन के आधार पर डिस्पोजल होना चाहिये। फ्लाई ऐश का भी निती और निर्धारण के आधार पर होना चाहिये। पॉवर प्लांट खोले जा रहे है फ्लाई ऐश डाला जा रहा है। पॉवर प्लांट के पास फ्लाई ऐश रखने की ज़गह नहीं है तो पॉवर प्लांट का एक्सपांशन भी नहीं होना चाहिये। गांव के खदानों का संचालन गांव के किसानों के हाथों मे भी होना चाहिये, छोटे–छोटे खदानों के संचालन के लिये केन्द्र सरकार की जो योजना है ये उत्खनन प्लांट की इसका मैं पूरजोर विरोध करता हूँ। किसानों के जमीन से जो खनित का उत्पादन करकर जो किसानों के कमाई का जरिया था

पर्यावरण विभाग उत्खनन प्लान लागु करके किसानों के हाथ से कमारे का जरीया पर अंकुश लगा दिया। ऐसा क्या नियम है कि गांव के जमीन का मालिक अपने जमीन से पत्थर नहीं निकाल सकता और बेच नहीं सकता, बेचने का अधिकार गांव के किसान को भी है और उद्योग लगाने वाले खदान मालिक को भी है तो इसलिये मैं सरकार के बैठे इस प्रतिनिधि माननीय ए.डी.एम. साहब, पर्यावरण अधिकारी से अनुरोध करूंगा कि केन्द्र सरकार की ये निती है जो उत्खनन छोटे गौण खनिजों पर लगाये गये है इसका पुर्नविचार किया जाना चाहिये और ग्रामपंचायत में जो गौण खनिज का पैसा डी.एम.एफ. जो खर्च होता है वो पंचायतों में दिया जाना चाहिये इससे गांव के विकास के लिये अच्छे से अच्छा हास्पिटल और अच्छे से अच्छा स्कूल, पानी की व्यवस्था, लाईट की व्यवस्था, तालाब का सौदर्यीकरण किया जा सकता है। गौण खनिज से गुड़ेली टिमरलगा में राजस्व की प्राप्ति करोड़ो रूपये 10 करोड़ रूपये साल की है, डी.एम.एफ. के राशि की प्राप्ति 03 करोड़ सालाने की है अगर ये राशी टिमरलगा और गुड़ेली पंचायत को मिल जाये तो ये गांव प्रदेश में ऐसा सुन्दर दिखेगा कि देखने के लिये यहा लोग आयेंगे कि यहा गांव का विकास कैसे हुआ है। लेकिन यह सब पैसा तो जनपद में चला जाता है वहा पर अपने योजनाओं के अनुसार दूसरे गांव में दे दिया जाता है जिस गांव में खनन हो रहा है उस गांव के पंचायत का अधिकार होना चाहिये वो पैसा किस उपयोग में लाना है ना कि जिले में बैठे और जनपद में बैठे अधिकारी निराकरण करेंगे। गांव के विकास के लिये खर्चे का अधिकार गांव के मुखीया के पास होना चाहिये, जिसका लेखा–जोखा सरकार अपने पास रखे, लेकिन उसका निर्णय पंचायत के पास होना चाहिये ना कि ए.सी. रूम में बैठे अधिकारियों का होना चाहिये। गौण खनित के उत्पादन से निरंतर जो केन्द्र और राज्य सरकार की जो विभिन्न योजनाये चल रही है उसमें मूल भूत यह देखा गया है कि प्रायः वातावरण में खनिज की रायल्टी के अभाव के चलते ठेकेदार हो चाहे छोटे–बड़े किसान जो आज मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्कूलों में सी.सी. रोड निर्माण कर रहे है, छोटे–छोटे पंजीयन कराये है ई क्लास में वे निर्माण करने के बाद रायल्टि के लिये घुमते है 400 क्यूबिक मीटर रायल्टि की उनसे वसुली की जाती है, जबकि डी.एम.एफ. और अन्य राशि जोड़कर 130 रूपये होता है अगर खदान का संचालन सूचारू रूप से बढ़ेगा, खुलेगा तो रायल्टि की उपलब्धता भी बढ़ेगी और उपलब्धता बढ़ने से जो 400 रूपये वसुला जा रहा है इसमें जो योजनाओं में आर्थिक बोझ हो रहा है वो भी कम होगा। केन्द्र सरकार को अविलंब गौण खनिज में लगाये गये माईनिंग प्लान उत्पादन क्षमता की जो चाहते है उसको अविलंब निरस्त किया जाना चाहिये इसी शर्तो के साथ मैं मंच पर आसिन और पण्डाल में बैठे वरिष्ठजनों का सम्मान करते हुये इस जनसुनवाई का समर्थन करता हूँ कि गौण खनिज की जनसुनवाई राष्ट्र के निर्माण के लिये उपलब्ध की जाने वाली गिट्टी के लिये किया जा रहा है इसका मैं समर्थन करता हूँ और नियम का मैं विरोध करता हूँ इस नियम को सिथिल होना चाहिये माईनिंग प्लान का।

162. दिनेश, गुडेली – मेरो मानना है कि जो भी हो रहा है कार्य हो लेकिन मशीन द्वारा हो रहा है वो मशीन से ना करवा कर मजदुरों द्वारा करवाया जाये ताकि जो बेरोजगार ईधर–उधर मजदुर भाई भटक रहे है वो ईधर–उधर ना भटके और अच्चे से मजदुरी हम लोगो को मिलना चाहिये।

163. रूपसाय, टिमरलगा – अभी जो सेठ बोल के गया हैं उसके लिये हमारा जो खेत है कमाने के लिये, कमायेगा और कलेक्टर साहब आदेश देगा फ्लाई ऐश डालो, चलो डाल दिया, उसमें हम 03 बोर करवायेंगे

तो क्या पानी मिलेगा, शुद्ध पानी मिलेगा कि फ्लाई ऐश है उसका पानी मिलेगा और उसी का पानी पीना चाहते है हम लोग। हमारे गांव टिमरलगा में हम लोग फ्लाई ऐश डाल रहे थे, गये थे 02–04 आदमी, मिलकर तो बोला पंच आया, सरपंच आया, उपसरपंच आया, सभी लोग आये तो उसको हम लोग इतना निवेदन किये फ्लाई एश तो डाल रहे हो तो चलो ठीक है तो कौन बोला, कलेक्टर बोला, हम लोगो को कलेक्टर का एन.ओ.सी. नही चाहिये, एन.ओ.सी. के बदले हम लोगो को 05 फीट मिट्टी डालकर उसी जमीन को हम लोगो को दे ऐसा हमारे कलेक्टर साहब को निवेदन करता हूँ।

164. ईश्वर पटेल, टिमरलगा – ये जो अभी कल्स्टर माध्यम से खनिपट्टा का आयेजन किया गया है उसके पूर्ण समर्थ में मैं हूँ, इससे हमारे गांव में जो राजस्व आता है उसके तहत जो टिमरलगा गुडेली में विकास हो रहा है और भविष्य में और भी होने की संभावना है इसलिये मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ।

165. प्रखर यादव, टिमरलगा – मै तीनों खदानों का पूर्ण रूप सेसमर्थन करता हूँ। आने वाले समय में ग्रामपंचायत गुड़ेली के लिये एक जीवन उपयोगी विकास कार्य के लिये अग्रसर रहेगी।

166. भरत अग्रवाल, पत्रकर – जन लोकसुनवाई के इस विषय पर यहा उपस्थित हूँ। विरोध और समर्थन, विकास और विनाश ये दोनो एक सिक्के के पहलू है। हम कितना भी विरोध कर ले या कितना भी समर्थन कर ले जो तय होना है वो मंत्रालय में पूर्व में ही तय हो जाता है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो इतना विरोध के बाद भी ये बड़े–बड़े फैक्ट्रियां प्रारंभ कैसे होती। मैं इसका समर्थन इसलिये करना चाहता हूँ क्योंकि जो राजस्व रायल्टी के रूप में प्राप्त होगा उससे गुड़ेली या टिमरलगा का विकास नहीं होगा अपितु सारंगढ़ क्षेत्र के 07 किलोमीटर डायरे का होगा, यू तो रायगढ़ जिले के पास भरपुर राजस्य है वसुली के लिये वहा की नगर निगम करोड़ो रूपये लगा रही है लेकिन सारंगढ़ जिले के पास ऐसा कोई भी साधन नहीं है जिससे वह करोड़ो और अरबो की बात करें लेकिन ये 03 खदाने अगर प्रारंभ हो जाती है तो तय है कि सारंगढ़ के जिला में राजस्व के क्षेत्र में एक अग्र भुमिका निभायेगी। जैसे कुछ वक्ताओं ने यह बात भी कही कार्यालय ग्रामपंचायत में आकर गौण खनिज रूक जाता है शायद उनकी जानकारी गलत है, टिमरलगा और गुडेली को डायरेक्ट सी.ओ. जिला पंचायत के द्वारा 04–04 करोड़ रूपये की राशि उनके खाता में दी जाती है। जितना रायल्टी रहता है वो रायल्टी के प्रतिशत के आधार पर हम देखते है कि किसी का कार्यालय कलेक्टर रायगढ जिला पंचायत सी.ओ. के द्वारा कोई ग्रामपंचायतों को प्रदान की जाती है और 07 किलोमीटर के दायरे में सारे विकास के कार्य होते है। यदि तीनों खदान प्रारंभ हो जाती है तो तय है जो आज 12 करोड़ रायल्टी, 13 करोड़ रायल्टी मिल रहा है यह रायल्टी 50 करोड़ के आस–पास हो जायेगा। जिससे 15–15 करोड़ के हिसाब से इन क्षेत्रों का विकास होगा।

167. हरिराम, टिमरलगा – समर्थन ।

168. अर्जुन, टिमरलगा– समर्थन।

169. चरनदास, टिमरलगा– समर्थन।

170. रामदयाल, टिमरलगा – समर्थन।

171. छोटेलाल साहू, गुडेली – हमारे गुडेली में कितनी लीज है जानकारी देवें।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि यदि कोई ग्रामीणजन, आस–पास के प्रभावित लोग अपना पक्ष रखने में छूट गये हो तो मंच के पास आ जाये। जनसुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। उन्होने पुनः कहा कि कोई गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधी छूट गये हो तो वो आ जाये। इस जन सुनवाई के दौरान परियोजना के संबंध में बहुत सारे सुझाव, विचार, आपत्ति लिखित एवं मौखिक में आये है जिसके अभिलेखन की कार्यवाही की गई है। इसके बाद 3:00 बजें कंपनी के प्रतिनिधि/पर्यावरण कंसलटेंट को जनता द्वारा उठाये गये ज्वलंत मुद्दो तथा अन्य तथ्यों पर कंडिकावार तथ्यात्मक जानकारी/स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया।

कंपनी कंसलटेंट द्वारा बताया गया कि आज दिनांक 30.10.2021 की जन सुनवाई कार्यक्रम में सुझााय गये । हमारे द्वारा प्रस्तावित परियोजना में खदान संचालन नियमों के पालन किया जायेगा। रोजगार दिया जावेगा। मजदूरी समय में प्रदान किया जावेगा। डस्ट के लिये ट्रको में तारपोलिन ढक कर किया जावेगा। जल छिड़काव किया जायेगा। स्कूलों में पानी की व्यवस्था किया जायेगा। सामुदायिक भवन, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र के लिये शासन को डी.एम.एफ. की राशि जमा की जाती है। आवेदित निजी भूमि क्षेत्र में पत्थर खनन हेतु विभागों से अनुमति ली जा रही है। जन सुनवाई में एल.ओ.आई में जुन 2020 में संशोधन के अनुसार एक वर्ष के लिये जारी की जा चुकी है। टी.ओ.आर. जारी किया गया है 5.000 हे. से अधिक होने से जन सुनवाई किया गया है। उत्पादन क्षमता ई.आई.ए. के अनुसार बनाई गई है। लिपिकी त्रुटी में सुधार किया जायेगा। आवेदन में दिनांक 30.10.2021 को जनसुनवाई की जा रही है।

जयंत बहीदार द्वारा कहा गया टी.ओ.आर. जारी होने के पहले ही छप चुका है। ये फर्जी हैं। इसे सुधारा नहीं जायेगा। अगर एल.ओ.ए. एक वर्ष का है तो इसमें कॉपी लगा क्यों नहीं है।

सुनवाई के दौरान 36 अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये तथा पूर्व में 03 अभ्यावेदन प्राप्त हुये है। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई। लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया गया। तत्पश्चात सायं 3:30 बजे धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।

30/10/2021
(एस.के. वर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

30/10/21
(आर.ए. कुरूवंशी)
अपर कलेक्टर
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)